भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

सत्यमेव जयते

ACE

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन

हर घर जल

जल जीवन मिशन अन्तर्गत

समुदाय स्तर के प्रतिनिधियों का चार-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

(KRC Level – 3)

सन्दर्भिका

प्रस्तावना

जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के लिए एक बुनियादी आवष्यकता है। स्वच्छ पेयजल की समुचित उपलब्धता न हाने पर हमारे परिवार और समुदाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घर पर पेयजल की उपलब्धता न होने पर लोगों को खासकर बालिकाओं एवं महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। इसमे बहुत समय की बर्बादी होतो है और हमेशा हम स्वच्छ जल की सुनिश्चितता भी नही ंकर पाते है।

हमारे देश में जल की समस्याओं एवं घरेल्–स्तर पर जल उपलब्ध कराने को सोच के साथ जल जीवन मिशन की शुरूआत सन 2019 में की गई। इसके तहत सन 2024 तक देश के सभी घरों में घरेल कायशील नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका क्रियान्वयन राज्यों की भागदारी से किया जा रहा है।

ग्रामीण समुदाय के सभी घरों में कार्यशील नल से जल उपलब्ध हो इसमें सरकार के साथ–साथ ग्रामीण समुदाय की सहभागिता बहुत अहम होती है। समुदाय के लोग जल जीवन मिशन में अपना सहयोग एव सहभागिता सुनिश्चित कर सक, इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय के लोगों, जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण महिलाओं का क्षमतावर्धन हो। उनकी जिम्मेदारी एवं भमिका जल जीवन मिशन के सफल संचालन में महत्वपूर्ण होगी। धरेल्–स्तर पर नल जल उपलब्ध कराना हमारे देश के लिए एक व्यापक कार्य है, पर उसका सफल संचालन एवं रख–रखाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में है। जिसका दारामदार पूर्ण रूप से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति एवं समुदाय पर है।

भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण समुदाय के लोगों का क्षमतावर्धन एवं उनके माध्यम से जागरूकता हेतु 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मुख्य संसाधन केन्द्र के माध्यम (KRC) से कराया जाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विस्तृत संदर्भिका तैयार की गई है।

यह प्रशिक्षण संदर्भिका समुदाय स्तर के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शन के रूप बनाई गई है, ताकि उनका क्षमतावर्धन हो सके एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन को तीव्र गति प्रदान की जा सके।

प्रशिक्षण शिड्यूल

जल जीवन मिशन के अर्न्तगत

समुदाय स्तर पर चार-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम दिवसः तैयारी चरण	
सत्र और समय	**विधि / गतिविधि**
पंजीकरण (09.00 से 09.30)	• प्रतिभागियों द्वारा
उद्घाटन सत्र (09.30 से 10.00)	• शुभारंभ एवं चर्चा
सत्र–1: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की महत्व (10.00 से 11.30)	
• परिचय, प्रशिक्षण का नियम निर्धारण एवं प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ • प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं उद्देष्य साझा करना • कार्यशाला की अपेक्षाओं के अनुकुल करना • गॉव की वर्तमान स्थिति में प्रतिभागियों की अपेक्षाए से अवगत कराना (संबंधित गॉव की रूपरेखा) • ग्रामीण क्षेत्रो में पानी के संबंध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ • गॉव में जल एवं स्वच्छता की स्थिति • एक परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल का महत्व • गॉव में सभी सरकारी संस्थान में स्वच्छ पेयजल का महत्वः विद्यालय, आंगनवाड़ी, सामुदायिक स्थल आदि • आप अपने गॉव को अगले 10 साल में कैसा देखना चाहते हैं : आदर्श ग्राम • आप अपने गॉव को आदर्श गॉव बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं?	• झिझक तोड़ना • चर्चा • परिचय करना • प्रशिक्षण के दौरान क्या, क्यों व क्या न करें पर चर्चा • अपेक्षाएँ ज्ञात करना • आदर्श ग्राम की कहानी साझा • प्रस्तुतीकरण
चाय अवकाश (11.30 से 11.45)	
सत्र–2: जल जीवन मिशन का परिचय (11.45 से 13.00)	
• जल जीवन मिशन एवं ''हर घर जल'' की अवधारणा व कार्यक्रम • अभियंताओं की सोंच / परिपक्ष्य में बदलाव (गॉव में जल आपूर्ती कार्यक्रम में निर्णय लेने के लिए समुदाय को शामिल करना) • पारंपरिक पेयजल आपूर्ति एवं नल से जल कनेक्शन। पाइप से पानी की आपूर्ति – लाभ और प्रभाव (समय की बचत, महिलाओं क कठिन परिश्रम में कमी, स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं की गरिमा, जीवन में आसानी, स्कूल छोड़ने वालों में कमी, स्कूल और आंगनवाड़ी में बेहतर	• प्रस्तुतीकरण • विचार – विमर्श • समूह अभ्यास • मंथन

मध्याह्न भोजन) • जल जीवन मिशन के तहत विजन, मिशन, उद्देश्य, लक्ष्य और अवसर • JJM डैशबोर्ड का परिचय, आईएमआईएस अवलोकन और शिकायत निवारण तंत्र • IoT (Internet of things)- के माध्यम से घरेलू और संस्थागत स्तर पर जल आपूर्ति की निगरानी • प्रत्येक स्थान के लिए कार्यक्षमता मूल्यांकन और इसकी रिपोर्ट की आवश्यकता	
भोजनावकाश (13.00 से 14.00)	
सत्र–3: योजना बनाने में सभी हितधारकों के अवसर, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां कार्यान्वयन (14.00 से 15.45)	
• प्रधान/सरपंच, पंचायती राज सदस्यों और ग्राम पंचायतों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां • ग्राम सभा की बैठक के दौरान आम सहमति के माध्यम से VWSC/पानी समितियो का गठन करना, VWSC की बैठकें आदि • विशेष रूप से समुदाय को संगठित करने, व्यवहार में बदलाव और पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग देने में ISA की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां • TPIAs (Third party Inspection Agencies) की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां • DWSM और कार्यान्वयन एजेंसियां (RWS/PHED/Jal Nigam/Board) – भूमिकाएं और जिम्मेदारियां	• प्रस्तुतीकरण • विचार – विमर्श
चाय अवकाश (15.45 से 16.00)	
सत्र–4: पर्यावरण को अनुकुल बनाना – जिम्मेदारी और उत्तरदायी नेतृत्व का विकास (16.00 से 17.00)	
• 73वां CAA और JJM के लिए प्रासंगिकता • सामुदायिक सहभागिता, भविष्यवादी ग्राम नेतृत्व और JJM संपत्तियों पर स्वामित्व • प्रमुख हितधारक के रूप में महिलाओं की भागीदारी, सामुदायिक संयोजक, कुशल पेशेवर, कार्यान्वयनकर्ता और संचालन के साथ–साथ रखरखाव • समुदाय प्रबंधित रख–रखाव व्यवस्था (ओ एंड एम के लिए जल सेवा शुल्क) • पेयजल प्रणालियों के कार्यान्वयन और रख–रखाव के लिए स्थानीय कौशल विकास (मेसन, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एफटीके उपयोगकर्ता आदि) • एसबीएम, मनरेगा, डीएमएफटी, 15वीं वित्त, सीएसआर फंड आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से निधियों का संस्थागत अभिसरण और संयोजन। • केंद्रीय कोष – कवरेज, सपोर्ट, WQM&S, JE-AEs • राज्य निधि का मिलान करना • राष्ट्रीय जल जीवन कोष।	• प्रस्तुतीकरण • विचार – विमर्श • समूह चर्चा
सत्र–5: जल गुणवत्ता निगरानी और रखवाली (17.00 से 18.00)	
• जल गुणवत्ता (बीआईएस 10500) मानकों का महत्व – मुद्दे और उपाय • स्वच्छता निगरानी – उद्देश्य और कार्य–प्रणाली	• प्रस्तुतीकरण • विचार–विमर्ष

• एफटीके परीक्षण – प्रावधान और अवधारणा • विभाग द्वारा रासायनिक और जैविक परीक्षण – जागरूकता निर्माण • JJM के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए आस–पास की प्रयोगशालाओं में जनता को सुविधा – महत्व और जागरूकता • जल गुणवत्ता निगरानी और पारदर्शिता – WQMIS प्रणाली।	
सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (18.00 से 18.30)	
• संदर्भ व्यक्ति द्वारा दिन में चर्चा किए गए सत्रवार विषयों को संक्षेप में दोहराना	• प्रस्तुतीकरण

द्वितीय दिवसः योजना चरण

सत्र और समय	विधि / गतिविधि
पुनरावलोकन (09.00 से 09.30)	• प्रतिभागियों द्वारा
सत्र–1: सामुदायिक सहभागिता (09.30 से 11.00)	
• योजना बनाने के लिए सहभागी उपकरणों (PRA, PLA आदि) का उपयोग • सामुदायिक मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, जल स्रोत मानचित्रण • जल स्रोत का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा (कूड़ा–करकट और प्रदूषण की रोकथाम) • सुरक्षित नल के पानी के उपयोगकर्ता शुल्क की आवश्यकता को समझना।	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा • फिल्म
चाय अवकाश (11.00 से 11.15)	
सत्र–2: ग्राम कार्ययोजना का निर्माण (11.15 से 13.15)	
• जल संसाधनों की सूची • तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय कारकों के आधार पर योजना की व्यवहार्यता (रेट्रोफिटिंग, विस्तारीकरण/SVS/MVS/सौर ऊर्जा से संचालित) • मौजूदा कार्यात्मक स्टैंड पोस्ट को FHTC में परिवर्तित करना • पानी का संयुक्त उपयोग • जल सुरक्षा • स्थिरताः स्रोत, प्रणाली (संस्थागत – पंचायत, VWSC/पानी समिति, SHG, आदि तकनीकी क्षमता और वित्तीय अभिसरण) और योजना • ग्राम जल सुरक्षा योजना और बजट • गांव में बुनियादी ढांचे के घटक – स्रोत, उपचार संयंत्र, विशेष उपचार, जलाशय, कीटाणुशोधन इकाइयां, वितरण नेटवर्क, नल कनेक्शन, ग्रे–वाटर प्रबंधन योजना, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, धुलाई और स्नान चबुतरा, मवेशी कुंड, आदि • साइनेज, बैनर, दीवार पेंटिंग, स्लोगन लेखन, आदि • बैठक करने के लिए सहमतिय • ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम कार्य योजना को शामिल करना • O&M (रख–रखाव) से संबंधित निधियों का बहीखाता रखना आर लेखा करना।	• मंथन • प्रस्तुतीकरण • ग्राम पंचायत मार्गदर्शिका प्रारूपों पर आधारित समूह कार्य • रोल प्ले
भोजनावकाश (13.15 से 14.00)	
सत्र–3: योजना एवं डिजायन (14.00 से 16.00)	

• गांव के लिए बुनियादी डिजाइन अवधारणाएं (सामान्य नियम) • डीपीआर के घटक – गांव स्तर संरचना (SVS/MVS) • जीवन चक्र लागत के आधार पर जलापूर्ति योजनाओं के लिए तकनीकी विकल्प का चयन – तीन विकल्पों की प्रस्तुतिकरण • बेकार/गंदा पानी प्रबंधन की योजना • स्रोत स्थिरता – वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण • O&M व्यवस्था और प्रणाली स्थिरता • अटल भुजल योजना के तहत योजना प्रक्रिया– अभिसरण • ग्राम पंचायत में डी पी आर की प्रस्तुतीकरण एवं सहमति	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा
चाय अवकाश (16.00 से 16.15)	
सत्र–4: कार्यान्वयन (16.15 से 17.00)	
• विभाग द्वारा निविदा – अवलोकन • कार्यान्वयन एजेंसी, ठेकेदार और ISA (कार्यकारी सहयोगी संस्था) के साथ कार्य योजना प्रबंधन • कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा
सत्र–5: क्षेत्र भ्रमण की चर्चा एवं तैयारी (17.00 से 18.00)	
• उद्देश्यय • प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के आधार पर समूह निर्माण • कार्यप्रणाली • आने–जाने की व्यवस्था • आपेक्षित परिणाम	• चर्चा
सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (18.00 से 18.30)	
• संदर्भ व्यक्ति द्वारा दिन में चर्चा किए गए सत्रवार विषयों को संक्षेप में दोहराना	• प्रस्तुतीकरण

नोट : संध्या/रात्रि में 7.30 से 8.30 बजे समूह चर्चा/समूह कार्य/सांस्कृतिक आयोजन होगें।

तृतीय दिवसः क्षेत्र/एक्सपोजर भ्रमण	
सत्र और समय	**विधि/गतिविधि**
क्षेत्र भ्रमण (09.00 से 16.00, भोजनावकाश के साथ)	
• सामुदायिक भागीदारी से प्रतिभागियों द्वारा VAP तैयार करना • जल स्रोत व्यवहार्यता मूल्यांकन • 5 सदस्य निगरानी समिति द्वारा पानी की गुणवत्ता और FTK से परीक्षण • जल जनित रोग और शिशुओं, किशोरों एवं वयस्कों पर इसका प्रभाव • स्वच्छता निगरानी और गंदला जल प्रबंधन योजना की तैयारी • जल उपचार संयंत्रों का निरीक्षण • सामुदायिक मानचित्रण • (O&M) रख–रखाव के घटक • जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन में पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति के कार्य मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करें • वर्षा जल संचयन और जल स्रोत पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहारिकता एवं कार्यप्रणाली	• सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा सहजीकरण व मार्गदर्शन
क्षेत्र भ्रमण का अनुभव साझा (16.00 से 18.30)	

• सीख, अवलोकन एवं अनुभव साझा करना	• समूह द्वारा प्रस्तुतीकरण • चर्चा

चतुर्थ दिवसः कार्यान्वयन चरण

सत्र और समय	विधि / गतिविधि
पुनरावलोकन (09.00 से 09.30)	• प्रतिभागियों द्वारा
सत्र–1: समुदाय द्वारा पानी की आपूर्ति अवसंरचना निर्माण के दौरान निगरानी (09.30 से 10.30)	
निर्माण की निगरानीः कार्यान्वयन चरण के दौरान पंचायत / ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति / पानी समिति द्वारा प्रगति और गुणवत्ता तथा तीसरे पक्ष के निरीक्षण को सहयोग, जैसेः • डिजाइन के अनुसार पाइप बिछाने की पर्याप्त गहराई एवं पाइप के जोड़ों का निरीक्षण • पाइप के जोड़, पानी की टंकी और घरेलू कनेक्शन के रिसाव का निरीक्षण • सिविल कार्यों की गुणवत्ता जांच • निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता • परीक्षण प्रमाण पत्रों की जांच कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना • कार्यादेश में कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति की समीक्षा • घरेलू कनेक्शन के अंतीम छोर तक कार्यात्मकता मूल्यांकन (गुणवत्ता, मात्रा, नियमितता, दबाव)	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा
सत्र–2: कार्यान्वयन के बाद का चरण (10.30 से 11.30)	
• कमजोर अवधि के दौरान जल स्रोत की स्थिरता • जल स्रोत संरक्षण (पर्यावरण सुरक्षा प्रोटोकॉल) और पुनर्भरण संरचनाएं • विभाग की प्रयोगशाला और थ्ज्ञ परीक्षण द्वारा स्रोत का जल गुणवत्ता परीक्षण • कार्यक्षमता के लिए उपचार संयंत्र का निरीक्षण • पंप, बिजली के पैनल, ट्रांसफार्मर, बिजली की आपूर्ति, कीटाणुशोधन खुराक उपकरण की गुणवत्ता जांच • अंतिम छोर के नल में अवशिष्ट क्लोरीन की जाँच करना • स्वच्छता निगरानी	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा
चाय अवकाश (11.30 से 11.45)	
सत्र–3: पंचायत पेयजल प्रणाली के लिए विकेन्द्रीकृत उपयोगकर्ता प्रबंधन (11.45 से 12.45)	
• JJM के तहत सामुदायिक योगदान और स्वामित्व विकसित करना • सामुदायिक योगदान और जबावदेही की भूमिकाएँ • दैनिक और वार्षिक रख–रखाव कार्य • जल उपयोगिताओं के रूप में ग्राम पंचायता / ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका • रख–रखाव मद, खातों और रजिस्टरों को बनाए रखना • कौशल विकास • शिकायत निवारण और समय पर समाधान	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा
सत्र–4: हर घर जल गाँव घोषणा प्रोटोकॉल (12.45 से 13.00)	

• हर घर जल गाव घोषणा प्रोटोकॉल का परिचय	• प्रस्तुतीकरण • चर्चा
भोजनावकाश (13.15 से 14.00)	
सत्र–5: क्षेत्र भ्रमण का अनुभव साझा (14.00 से 16.30)	
• प्रतिभागियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण की सीख पर प्रस्तुतीकरण • समूह चर्चा और आगे का कार्य (JJM के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना) • संबंधित ग्राम कार्य योजना तैयार करना • (अल्पकालिक, मध्य अवधि और दीर्घकालिक)	• चर्चा • सवाल–जवाब
सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (16.30 से 17.15)	
• तीन दिनों के सत्रों को पुनः संक्षेप में दोहराना	• प्रतिभागियों द्वारा
समापन सत्र (17.15 से 17.45)	
• प्रतिभागयिों की प्रतिक्रिया जानना एवं सीखने का परिणाम • प्रमाणपत्र वितरण	• प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया • खुली चर्चा
धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन (17.45 से 18.00)	

प्रथम दिवसः तैयारी चरण

पंजीकरण (09.00–09.15)

कार्यशाला प्रारंभ हाने के पुर्व निर्धारीत पपत्र में सभी प्रतिभागियों का पंजीयन किया जायगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशिक्षण संचालक की होगी। **पंजीकरण प्रपत्र में** नाम, पदनाम, स्थान, शैक्षाणिक योग्यता, संम्पर्क नंबर, स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। (पंजीकरण प्रपत्र संलंग्न – I)

उद्घाटन सत्र (09.15 से 10.00)

सभी प्रतिभागियों के प्रशिक्षण हॉल में यथास्थान एकत्रित हो जाने पर, किसी पदाधिकारी/KRC संचालक द्वारा सबका स्वागत किए जाने के उपरान्त, प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों का परिचय किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर संक्षिप्त में परे 4 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रयास कर कि सांसद/विधायक/जिला प्रमुख/जिला कलेक्टर महोदय/पीएचईडी अधिकारी से विधिवत शुभारम्भ करवाया जाय।

जल जीवन मिशन के तहत समुदाय स्तर के प्रतिनिधियों के क्षमतासंवर्द्धन हेतु यह पहला बड़ा प्रयास किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण क्षेत्रानुसार, तथ्यपरक होगा। साथ ही यह प्रशिक्षण समुदाय स्तर के व्यक्ति को अपने कार्यों के दायित्व निर्वहण में दक्षता प्रदान करेगा।

सत्र–1: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की महत्व (10.00 से 11.30)

प्रतिभागियों का परिचय

उद्देश्यः एक दूसरे से परिचित होना और झिझक तोड़ना

अभ्यासः जोड़ी का अभ्यास

सामग्रीः जल एवं स्वच्छता के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित दो भागों में कटें हुए विभिन्न चित्रित कार्ड्स। (प्रतिभागियों की संख्यानुसार)

विधि

- गोलाई में बैठे प्रतिभागियों के बीच में चित्रों के टुकड़े रख द।
- सभी प्रतिभागियों को एक–एक टुकड़ा लेने के लिए आमन्त्रित करें।
- अब उनसे अपने चित्र के आधे भाग को खोजने को कह।
- जिनके पास चित्र का कटा हुआ शेष भाग मिल जाए उनकी जोड़ी बन जाएगी।
- जोड़ी बनने के बाद प्रतिभागियों को आपस में पूर्ण परिचय लेने को कहें। प्रतिभागी कक्ष मे या बाहर भी जाकर बैठ सकते हैं।
- परिचय प्राप्त करने के लिए 5 मिनट का समय दे।
- परिचय के लिए कुछ आवश्यक बिन्दु श्यामपट्ट व्हाइट बोर्ड/पेपरशीट पर लिख दे, जैसे–नाम, पता, शिक्षा, रूचि, इत्यादि

समय समाप्त होने के बाद प्रतिभागियों को वापस अपने जोड़े के साथ बैठने को कह। बारी–बारी से प्रत्येक जोड़े को सर्वप्रथम अपने कार्ड्स से प्राप्त होने वाले सन्देश को समूह के सामने रखने को कह। तत्पश्चात् अपने साथी का परिचय, पूरे समूह के सामने प्रस्तुत करने को कहें। इससे परिचय के साथ–साथ प्रतिभागियों का झिझक भी दूर होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियम निर्धारण

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले प्रतिभागियों द्वारा ही 4 दिन के प्रशिक्षण हेतु नियम का निर्धारण करना है। जिसमें एक चार्ट पेपर पर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम किस प्रकार चलना है, एक नियम का निर्धारण हो जाएगा, जिसका पालन सभी को करना है। यह चार्ट पेपर प्रशिक्षण हॉल में चिपका दिया जाना है, ताकि प्रशिक्षण के दौरान पालन किया जा सके।

प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ

- इस कार्यक्रम के उद्देश्य और परियोजना के बारे में प्रतिभागियों को बताना है। परियोजना की अवधारणा, गुण एवं सिद्धान्त के बारे में जानकारी देकर समुदाय की सहभागिता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है यह बताना है।
- प्रतिभागियों को पेयजल एवं स्वच्छता की अवधारणा के बारे में बताना है।
- प्रतिभागियों को सामुदायिक सहभागिता, प्रेरणा एवं सीखने के सिद्धान्त बताकर समुदाय के व्यवहार परिवर्तन करने में सक्षम बनाना है।
- पेयजल एव स्वच्छता का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, यह बताना है।
- शत प्रतिशत घरों में कार्यशील घरेलु नल कनेक्शन (FHTC) के बारें में समझ विकसीत करना।
- प्रतिभागियों को किस तरह समुदाय से पेयजल की सुविधाओं की मांग पैदा करवानी है तथा उन्हें सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव में जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है, यह बताना है ।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य व उद्देश्य के बारे में बताना, जिससे कार्यक्रम की परिकल्पना व कियान्वयन का प्रारूप मोटे तौर पर प्रतिभागियों को समझ आ सके। ताकि आगे के तकनीकी सत्र में प्रतिभागी को समझने में आसानी हो।

प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए उनसे उनकी अपेक्षाऐं ज्ञात करना है। सभी प्रतिभागियों को एक पोस्टकार्ड साइज का कार्ड दकर उस एक पर 2 प्रशिक्षण से अपेक्षाएं लिखने को कहे। 5 मिनट बाद समस्त कार्ड एकत्रित कर वही शीट पर अपेक्षाओं को लिख व सन्दर्भ व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि सभी अपेक्षाओं का उत्तर प्रतिभागी को दें।

प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं उद्देश्य साझा

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता आधारित जल जीवन मिशन को प्रभावी तरीके से कियान्वयन करने में समुदाय स्तर के प्रतिनिधियों का क्षमतासंवद्धन करना। इस प्रशिक्षण का विशेष उद्देश्य प्रतिभागियों को.....

- **जल जीवन मिशन** के सभी पहलुओं से अवगत करवाना।
- **जल जीवन मिशन** कार्यक्रम के कियान्वयन व अनुश्रवण हेत दक्षता विकसित करना
- **जल जीवन मिशन** के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना
- सूचना शिक्षा संचार संबंधी जानकारी प्राप्त करना
- ग्राम स्तर पर स्वच्छता पर जानकारी प्राप्त करना
- पेयजलापूर्ति कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करना
- जल गुणवत्ता पर जानकारी प्राप्त करना
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति की भुमिका पर जानकारी प्राप्त करना
- कायाषील घरेल नल जल (FHTC) का संचालन एवं रख–रखाव जानकारी प्राप्त करना

गॉव में स्थिति से अवगत कराना (संबंधित गॉव की रूपरेखा)

गॉव में अभी लोगों का रहन सहन कैसा है चर्चा कर अवगत करना एवं जल –स्वच्छता से संबंधित उपलब्ध व्यवस्था पर चर्चा करना।

ग्रामीण क्षेत्रो में पानी के संबंध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताए

सभी प्रतिभागी से अपने गॉव के पानी के संबंध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ पर चर्चा करें, जैसेः

- घर में पानी लाना केवल महिलाओं कार्य है।
- पानी असीमित है।
- पानी का काई मुल्य नहीं होता है।
- पानी मुफ्त में मिलता है। इसका काई शुल्क नहीं है।
- जो पानी देखने में साफ है वो शुद्ध जल है। आदि
- यह कार्य छोटे–छोटे समूहों में करवाया जायेगा।

गॉव में जल एवं स्वच्छता की स्थिति

प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए अपने–अपने गांव की जल एवं स्वच्छता की स्थिती पर अपना मतव्य रखने का अवसर प्रदान करें। एक या दो गांव की स्थिती को चार्ट पेपर पर अंकित करते हुए कहॉ कमी है एवं कैसे स्थिती में बदलाव ला सकते हैं सभी प्रतिभागी से मंतव्य लें। इस तरह सभी प्रतिभागी अपने–अपने गाव का आकलन कर कितना कार्य करने की आवश्यकता है का अनुमान लगा सकते हैं।

परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल का महत्व

स्वच्छ जल की महत्ता आपके परिवार के लिए कितना महत्व रखता है, इस पर प्रतिभागी से चर्चा करते हुए, जल गुणवत्ता विषय का परिचय देवें एवं दूषित जल के कुप्रभाव पर चर्चा करें।

गॉव में सभी सरकारी संस्थान में स्वच्छ पयजल की महत्व

गांव में जितने भी सामुदायिक स्थल है, वहॉ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का महत्व चर चर्चा करें। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से पीने का पानी समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। साथ ही मध्यान्ह भोजन बानाने में भी स्वच्छ पेयजल का होना जरूरी है।

आप अपने गॉव को अगले 10 साल में कैसा देखना चाहते हैं?

सभी प्रतिभागियों को अपने ग्राम की तत्काल स्थिती के आकलन को देखते हुए चर्चा करें कि अपना गांव का अगले 10 वर्षों में कैसा देखना चाहते हैं, चर्चा कर सभी की सहमती से कुछ बिन्दु को चार्ट पेपर पर अंकित करें। सभी प्रतिभागी की प्रतिक्रिया को सभी के साथ चर्चा कर आदर्श ग्राम की परिकल्पना करें। जिसे सभी प्रतिभागी अपने गाँव में लागू कर सकते हैं।

आप अपने गॉव को आदर्श गॉव बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं ?

सभी प्रतिभागियों से चर्चा कर कुछ बिन्दु को चार्ट पेपर पर अंकित कर, जैसेः–

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सशक्त करना
- मासिक बैठक करना
- जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन सामुदायिक सहयोग से करना/कोष बनाना
- गाँव को सुन्दर व आदर्श बनाने के लिए अपना भी सहयोग सुनिश्चित करना, आदि।

चाय अवकाश (11.30 से 11.45)

15 मिनट का चाय अवकाश दें।

सत्र–2: जल जीवन मिशन का परिचय (11.45 से 13.00)

जल जीवन मिशन एवं ''हर घर जल'' की अवधारणा

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों से चर्चा करें:

- जीवन की मूलभूत आवश्यकता है– जल, जल नहीं तो जीवन नहीं।
- मानव विकास के लिए पेयजल की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है।
- जल जीवन मिशन एक समयबद्ध मिशन–मोड कार्यक्रम है।
- वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलु नल कनेक्शन द्वारा नियमित रूप से, निर्धारित गुणवत्ता वाला और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर
- इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को "कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्सन" (FHTC) उपलब्ध कराना है।
- पानी लाने में व्यतीत किए जाने वाले कीमती समय को बचाकर दूसरे कार्यों में लगाना।
- इससे विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता मे महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, ओर खुले मे शौच की प्रवित्ति समाप्त होगी।
- पानी की उपलब्धता स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों को बरकरार रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अभियंताओं की सोच/ परिपेक्ष्य में बदलाव (गॉव में जल आपूर्ति कार्यक्रम में निर्णय लेने के लिए समुदाय को शामिल करना)

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, राज्य जल मिशन के लिए नोडल विभाग होगे। पूर्ववत पाईप जलापूर्ति योजना को निर्माण एवं कियान्वयन विभागीय अभियंताओं के निर्णय अनुसार किया जाता रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गॉव में जल आपूर्ती कार्यक्रम में निर्णय लेने के लिए समुदाय को शामिल करना अनिवार्य है। ग्राम कार्ययोजना समुदाय की आवश्यकता अनुसार जलापूर्ती योजना बनाया जाना है। जिसमें निर्णय समुदाय द्वारा किया जाएगा। यहाँ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भुमिका बहुत ही अहम है।

पारंपरिक पेयजल आपूर्ति एवं नल से जल कनेक्शन और पाइप से पानी की आपूर्ति के लाभ और प्रभाव

पारंपरिक पेयजल आपूर्ति जैसे कि कुआँ, चापाकल, हेण्डपम्प/नलकूप आदि से पानी लेना एवं नल से जल कनेक्शन के द्वारा घरों में जलआपूर्ती से निम्नलिखित लाभ हो सकत हैः–

- समय की बचत
- महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी
- स्वास्थ्य में सुधार
- महिलाओं की गरिमा
- जीवन में आसानी
- स्कूल छोड़ने वालों में कमो
- स्कूल और आंगनवाड़ी में बेहतर मध्याह्न भोजन

जल जीवन मिशन के तहत विजन, मिशन, उद्देश्य, लक्ष्य और अवसर

विजनः

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और लंबी अवधि के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति हो, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

मिशनः

- जल जीवन मिशन के माध्यम से सहायता, सशक्तिकरण और सुविधा प्रदान करना हैः
- प्रत्येक ग्रामीण घरेलू और सार्वजनिक संस्थानों में लम्बे समय तक पीने योग्य पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना
- सहभागी ग्रामीण जल आपूर्ति रणनीति की योजना में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार में 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) हो
- निर्धारित मात्रा व पर्याप्त मात्रा में पानी नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा सके
- पंचायत /ग्रामीण समुदायों को पानी की आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने के लिए
- उपयोगिता दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर क्षेत्र के सेवा वितरण और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए

उद्देश्यः

मिशन के व्यापक उद्देश्य हैं:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC प्रदान करना।
- गुणवत्ता वाले क्षेत्रों, सूखा ग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई) गाँव को FHTC हेतु प्राथमिकता देना।
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।
- नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करना।
- नकद, सामग्री और / या श्रम और स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय क बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना।
- जल आपूर्ति प्रणाली, अर्थात् जल स्रोत, जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे और नियमित रख–रखाव के लिए निधियों की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करना
- इस क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त और विकसित करना ताकि गांव स्तर पर ही प्लानींग एवं क्रियानवयन किया जा सके।
- जल जीवन मिशन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूक करना और सुरक्षित पेयजल के महत्व और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

लक्ष्य:

जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलु नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति लंबी अवधी तक किए जाने की योजना है। इसमें जल संरक्षण, जल स्त्रोत स्थायित्व, तथा वर्षा जल संरक्षण भी शामिल है।

अवसर:

- जल जीवन मिशन के कियान्वयन के लिए स्थानीय संस्थानों को शामिल करने हेतु समुचित प्रावधान
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की उपलब्धता और राष्ट्रीय जल जीवन कोष के माध्यम सें अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता
- कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित स्वयं सेवी संस्थाओं को (PRA) सहभागी नियोजन गतिविधिओं के लिए शामिल करना
- कार्यानवयन के लिए विभिन्न सतर पर क्षमता निर्माण करना एवं मानव संसाधनों को काम पर लेना
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना
- विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी की संभावना तलाषना

JJM डैशबोर्ड का परिचय, आईएमआईएस अवलोकन और शिकायत निवारण तंत्र

JJM डैशबोर्ड का परिचय प्रतिभागियों को कराने हेतु JJM पोर्टल खोलकर दिखाना एवं क्या–क्या सुचनाएँ उपलब्ध है से अवगत कराना व कैसे स्चनाओं को देखा जा सकता है कि जानकारी देना।

आईएमआईएस अवलोकन और शिकायत निवारण तंत्र:

जल जीवन मिशन से संबंधित सभी सुचनाएँ, आंकड़ा आदि आईएमआईएस में उपलब्ध है जिसे JJM डेसबोर्ड पर खोलकर दिखाना है। साथ ही पेयजल से संबंधित शिकायत तत्र स भी अवगत करना है।

IoT (Internet of things)

इस सत्र के माध्यम से घरेलू और संस्थागत स्तर पर जल आपूर्ति की निगरानी प्रत्येक स्थान के लिए कार्यक्षमता मूल्यांकन और इसकी रिपोर्ट की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी देना।

भोजनावकाश (13.00 से 14.00)

1 घंटे का भोजन अवकाश दें।

सत्र–3: योजना बनाने में सभी हितधारकों के अवसर, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां कार्यान्वयन (14.00 से 15.45)

जल जीवन मिशन के मुख्य घटक

JJM के तहत निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:

- प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गाँव क पाइप से जलापूर्ति की बुनियादी सुविधाओं का विकास
- जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और / या मौजूदा स्रोतों का विकास
- जहां भी आवश्यक हो, प्रयाप्त जल की उपलब्धता, उपचार संयंत्रों और वितरण नेटवक को हर ग्रामीण घर में पूरा करने के लिए
- जहां पानी की गुणवत्ता की समस्या है, वहां से प्रदूषण को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
- 55 lpcd के न्यूनतम सेवा स्तर पर FHTCs प्रदान करने के लिए पूर्ण और चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- ग्रे वाटर प्रबंधन/ गंदा जल का प्रबधन
- सहयोगी गतिविधियाँ, अर्थात् IEC, HRD, प्रशिक्षण, उपयोगिताओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता निर्माण इत्यादि।
- प्राकृतिक आपदाओं / आपदाओं के कारण उभरने वाली कोई अन्य अप्रत्याशित चुनौतियाँ के लिए फ्लेक्सी फंड
- विभिन्न स्रोतों / कार्यक्रमों से स्रोत निधि के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और विभीन्न विभाग से अभिसरण हो।

प्रधान/सरपंच, पंचायती राज सदस्यों और ग्राम पंचायतों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

- हर मौज्दा ग्रामीण परिवार और भविश्य मे अस्तित्व मे आने वाले किसी नए परिवार को एफ. एच. टी. सी. प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना की मुख्य बस्तियों से दूर स्थीत छीट–फुट घरों को भी एफ. एच. टी. सी. प्राप्त हों
- जल आपूर्ति के लिए ग्राम कार्य योजना की तैयारी सुनिश्चित करना
- गाँव के लिए जल आपूर्ती योजना बनाना, इसकी रूपरेखा तैयार करना, कियान्वयन, संचालन और रख–रखाव करना। जल आपूर्ती का समय तय करना।

- अंतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथासंभव 5 से 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए एकजुट होना और समुदाय को प्रेरित करना। अंशदान नगद, सामग्री एवं श्रम के रूप में हो सकता है।
- गाँव में किए जा रहे संरचनात्मक कार्यों का प्रवेक्षण करना
- सामूदायिक अंशदान के लिए और संचालन एवं रख–रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खेलना या ग्राम पंचायत के मौजुदा खाता का उपयोग करना।
- खाता का लेखा जोखा रखने हेतु एक रजिसटर बनाना, जिसमें सामुदायिक अंशदान एवं जल शुल्क संग्रह की राशि को दर्शाता हो।
- PRA गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
- मासिक जल शुल्क निर्धारित करना एवं सभी परिवार से एकत्रीत करना।
- जल स्त्रोत सहित ग्राम जल आपूर्ती योजना का प्रबंधन, संचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी लेना।
- स्कीम के लिए भूमि का प्रावधान
- जल–स्रोतों का स्थायित्व और ग्रे–वाटर प्रबंधन
- ग्राम पंचायत/ ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर मे पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
- योजना के पूरा होने पर उसका प्रयोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
- अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
- एक वर्ष म कम से कम चार बार आवधिक बैठक आयोजित करना और उसका कार्यवाही/ रिकार्ड रखना।
- राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना।
- सामाजिक आंकेक्षण करवाना
- जल का विवेकपुर्ण उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाना। पानी का दुरूपयोग न हो सुनिश्चित करना।
- पंप ऑपरेटर, जमीनो तकनीशियन को नियुक्त करना, उनसे काम लेना और पेयजल प्रणाली का नियमित रूप से संचालन, मरम्मती एवं रख–रखाव करना।

ग्राम सभा की बैठक के दौरान आम सहमति के माध्यम से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)/ पानी समितियों का गठन करना

ग्राम स्तर पर मुखिया/प्रधान/सरपंच की अघ्यक्षता में ग्राम सभा का आयेजन कर आम सहमति से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन किया जाना है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- कोषाध्यक्ष
- सदस्य – कम से कम 9 सदस्य

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन

- प्रत्येक ग्राम में ग्राम जल एंव स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन ग्राम सभा बुलाकर किया जायेगा जो जलापूर्ति एंव स्वच्छता से संबंधित विभिन्न कार्यो का क्रियान्वयन एंव देखभाल जिला/प्रखंड जल एंव स्वच्छता समिति के निदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- आम सभा मुखिया/प्रधान/सरपंच की अध्यक्षता में होगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जलापूर्ति संबंधी कार्यो के लिये अलग से खाता खोला जायेगा।

- यह समिति पंचायत की स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी।
- इस समिति में 6 से 12 सदस्य होगें जिसमें गॉव में चुने हुये वार्ड प्रतिनिधि, महिलायें, अनुसूचित जाति/जनजाति एंव कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। जलापूर्ति एंव स्वच्छता से जुड़े एंव जानकार व्यक्ति/ऑगनबाड़ी सेविका/महिला सामख्या/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्कर, आशा को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ग्राम जल एंव स्वच्छता समिति में महिला सदस्यों की संख्या का कम से कम 50 प्रतिषत होगा।

विशेष रूप से समुदाय को संगठित करने, व्यवहार में बदलाव और पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग देने में ISA की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- राज्यों/जिला द्वारा चयनित क्रियान्वयन एजेंसीज (ISAs) उनको आंवटित क्षेत्रों में जलजीवन मिशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाएगी।
- ISAs गांवों को पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए समुदायों को जुटाने और सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- DWSM, ISA को SWSM द्वारा चयन किए गए सूची से कार्य प्रदान करेगी
- महिलाओं की भागीदारी को ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के नियोजन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में सुनिश्चित करना।
- ग्राम जल स्वच्छता समिति का पुनर्गठन/ क्षमतावर्धन करना और इसके कार्यों को सुगम बनाना।
- ग्राम सभा का आयोजन करवाना एवं ग्रे वॉटर प्रबंधन और स्रोत स्थायित्व जैसे कार्यों को ग्राम सभा से पारित करवाना
- FHTC की आवश्यकता का मूल्यांकन करना तथा समुदाय को FHTC प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- DWSM और VWSC में समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
- जन–जागरूकता हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) उपकरणों का उपयोग करना और गतिविधियों का क्रियान्वयन करना।
- भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर शुरू किए गए जल अभियान में समुदाय को जोड़ना तथा सहयोग करना।
- जल के विभिन्न पहलुओं जैसे वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल गुणवत्ता, जल जनित बीमारियों, जल की बचत, जल का रख–रखाव, पेयजल के स्रोत में वृद्धि/ स्थायित्व के पहलुओं आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- गाँव में उचित स्थानों पर दीवार लेखन/ चित्रकारी करना।
- सामाजिक व्यवहार परिवर्तन एवं संचार गतिविधियाँ चलाना।
- जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में महिलाओं (SHG, मिस्त्री इत्यादि) की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- गाँव से प्राप्त होने वाली सफलता की कहानियों का दस्तावजीकरण करना।

TPIAs (Third party Inspection Agencies) की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

विभाग, या राष्ट्रीय मिशन द्वारा जारी किए गए ToR के आधार पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, अन्य पक्ष सत्यापन ऐजेंसियों (Third party Inspection Agency) को सुचिबद्ध करेगा। जो ऐजसियों द्वारा प्रत्येक योजना में किए गए निश्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण कार्य के उपयोग में लगाई गई सामग्री की गुणवत्ता और लगाये गए मशीनरी की गुणवत्ता जाँच करेगी।

DWSM और कार्यान्वयन एजेंसियां (RWS/PHED/Jal Nigam/Board) – भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC प्रदान करने की दृष्टि से ग्राम कार्य योजना एवं जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देना।
- SWSM द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसार जिला स्तर पर अन्तः ग्राम जल आपूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
- जिला स्तर पर ग्रे वॉटर प्रबंधन और स्रोत स्थायित्व हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण और आवश्यक निधि हेतु तालमेल करना और पेयजल योजनाओं को तभी मंजूरी देना जब ये घटक डीपीआर में शामिल किए गए हों।
- SWSM के पैनल सूची से ISA को कार्य प्रदान करना तथा उनके कार्यो की निगरानी करना।
- ग्राम कार्य योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए जिला स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल के पदाधिकारिओं को आवश्यक दिशा–निर्देश देना और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर डीपीआर तैयार कराना।
- ग्राम कार्य योजना को अनुमोदित करना जिसमे अंतः गाम अवसंरचना के निर्माण अर्थात् रेट्रोफिटिंग या नई योजना का प्राकलन और इसके किर्यान्वयन की समय–सारणी शामिल हों।

चाय अवकाश (15.45 से 16.00)

15 मिनट का चाय अवकाश दें।

सत्र–4: पर्यावरण को अनुकुल बनाना – जिम्मेदारी और उत्तरदायी नेतृत्व का विकास (16.00 से 17.00)

73वां CAA और JJM के लिए प्रासंगिकता

वर्ष 1992 में संविधान के 73 वें संषोधन से संविधान में पंचायत'' नामक एक नया भाग 'IX' जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 (ओ) तक के प्रावधान शामिल थे, इसके अलावा, पंचायत के प्रकायों में शामिल 29 विषयों के साथ एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

सामुदायिक सहभागिता, भविष्यवादी ग्राम नेतृत्व और JJM संपत्तियों पर स्वामित्व

किसी भी कार्य में ग्रामवासियों की व्यक्गित भागीदारी व अपनापन उस कार्य की सफलता में महत्वपुर्ण भुमिका निभाता है। यह देखा गया है कि जहाँ पर सामुदायिक भागीदारी नहीं होती है, या कम होती है, उन ग्रामों में कार्यक्रम कम सफल होता है। किसी भी कार्यक्रम का लाभ ग्राम वासियों को लम्बे समय तक लेना है तो समुदाय की पूण भागीदारी हमे सुनिश्ति करना होगा।

जिस कार्यक्रम में समुदाय अपना भागीदारी निभाते हैं। वहाँ अपना तय अंशदान देते हैं, उन कार्यक्रमों में समुदाय का अपनत्व का भाव होता है। कार्यक्रम लम्बे समय तक समुदाय के अनुकल बना रहता है। समुदाय उसकी देखरेख में भागीदारी निभाते हैं और रख–रखाव के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए जल जीवन मिशन में ग्रामवासियों द्वारा नगद या सामग्री के रूप में अंशदान करने का प्रावधान भी रखा गया है।
अंशदान पुंजीगत लागत एवं संचालन व रख–रखाव दोनों के लिए करना होगा। अंशदान की मात्रा का निर्धारण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कर किया जा सकता है।

जल जीवन मिशन के संपत्तियों का स्वमित्व पूर्ण रूप से पंचायत का होगा, जिसका देखरेख संचालन व रख–रखाव पूर्ण रूप से पंचायत के उप समिति ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की होगी। जिसमें लाभान्वित समुदाय की भागीदारी की भमिका अहम है।

प्रमुख हितधारक के रूप में महिलाओं की भागीदारो, सामुदायिक संयोजक, कुशल पेशेवर, कार्यान्वयनकर्ता और संचालन के साथ–साथ रखरखाव

अक्सर देखा गया है कि महिलाओं द्वारा किए गए कार्य सराहनीय रहता है। माना जाता है कि महिलाएँ किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पुरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। इसलिए पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव कार्य में महिलाओं की भागीदारी महत्वपुर्ण है, जिन्हें प्रमुख हितधारक के रूप में रखा गया है।

समुदाय प्रबंधित रख–रखाव व्यवस्था (ओ एंड एम के लिए जल सेवा शुल्क)

जल जीवन मिशन में पेयजल योजनाओं की संचालन एवं रख–रखाव पूर्ण रूप से समुदाय प्रबंधित है। ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति या पानी समिति को ही रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी लेना होगा। रख–रखाव हेतु निर्धारित जल सेवा शुल्क भी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति या पानी समिति के द्वारा लाभुकों के मासिक कलेक्शन करना होगा, जिसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति के खाते में जमा करना है। आने वाले समय में जरूरत अनुसार समिति के माध्यम से रख–रखाव हेतु खर्च किया जा सकता है।

पेयजल प्रणालियों के कार्यान्वयन और रख–रखाव के लिए स्थानीय कौशल विकास (मेसन, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एफटीके उपयोगकर्ता आदि)

FHTC- कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज मिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एफटीके उपयोगर्का की आवश्कता होगी। जिसके लिए स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। कुसल ग्रामीण करीगरों को पेयजल कार्यों से जोड़ा जएगा।

एसबीएम, मनरेगा, डीएमएफटी, 15वीं वित्त, सीएसआर फंड आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से निधियों का संस्थागत अभिसरण और संयोजन

जल जीवन मिशन के कार्यों में अन्य विभाग एवं संस्थान से अभिसरण कर भी कई काय कराया जा सकता है। जैसेः एस बी एमः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. भाग–2 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु प्रावधान है। जिसे 15वीं वित से अभिसरण कर किया जाना है। तरल कचरा प्रबंधन हेतु घरेलु या सामुदायिक स्तर पर सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया जाना है। हर घर जल उपलब्ध होने के साथ–साथ बेकार पानी का उचित प्रबंधन भी किया जा सकता है।

जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण एक महत्वपुर्ण कार्य किया जाना जिससे स्त्रोत की सतता सुनिश्चित किया जा सके। जल संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य मनरेगा, सी एस आर, डीएमएफटी एवं 15वीं वित से अभिसरण कर किया जा सकता है।

इसके अलावा 15 वीं वित एवं MGNREGA के साथ अभिसरण के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों को लागू किया जा सकता हैः

- अपशिष्ट प्रबंधन
- भूजल पुनर्भरण
- कृषि के लिए रसोई और बाथरूम से निकलने वाले ग्रे वॉटर के बुनियादी उपचार और पुनः उपयोग
- स्रोत स्थिरता के लिए वर्षा जल संचयन संरचना
- जल संरक्षण की पहल

केंद्रीय कोषः कवरेज, सपोर्ट, WQM&S, JE-AEs

मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है, जिसमे केंद्र और राज्य का भाग क्रमशः 2.08 लाख करोड़ रुपए और 1.52 लाख करोड़ रुपए है।

राज्य	केंद्र का भाग प्रतिशत में	राज्य का भाग प्रतिशत में
हिमालयी और उत्तर–पूर्वी राज्य	90	10
अन्य राज्य	50	50
केंद्रशासित प्रदेश	100	.

इसके अलावा MGNREGS के साथ अभिसरण के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों को लागू करना अनिवाय है

- अपशिष्ट प्रबंधन
- भूजल पुनर्भरण
- कृषि के लिए रसोई और बाथरूम से निकलने वाले ग्रे वॉटर के बुनियादी उपचार और पुनः उपयोग
- स्रोत स्थिरता के लिए वर्षा जल संचयन संरचना
- जल संरक्षण की पहल

किसी भी राज्य को कूल आबंटन में से सहायक गतिविधियों एवं जल गणवत्ता निगराणी एवं सुरक्षा के लिए प्रावधान निम्नलिखित हैः–

क). सहायक गतिविधियों के लिए – कल आबंटन का 05 प्रतिशत राशि

ख). जल गुणवत्ता निगराणी एवं सुरक्षा के लिए – कल आबंटन का 02 प्रतिशत राशि

राज्य निधि का मिलान करना

जल जीवन मिशन के तहत **FHTC** के साथ–साथ विभिन्न घटकों के लिए निम्नलिखित अनुसार वित्तीय प्रावधान हैः–

क्र. स.	JJM के तहत विभिन्न घटक	केन्द्र एवं राज्य वित्तीव प्रावधान	केन्द्र एवं राज्य निधि का मिलान
1.	कवरेज अर्थात, हर धर जल के लिए अवसंरचना का निर्माण	विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	100 : 0
		विधायिका सहित प्रर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	90 : 10
		अन्य राज्यों के लिए	50 : 50
	क). सहायक गतिविधियाँ – कूल आबंटन का 05 प्रतिशत	विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	100 : 0
		विधायिका सहित प्रर्वोत्तर और हिमालयी	90 : 10

2	ख). जल गुणवत्ता निगराणी एवं सुरक्षा – कूल आबंटन का 02 प्रतिशत	राच्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	
		अन्य राज्यों के लिए	60 : 40
3	विष्व बैंक से सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ती और स्वच्छता परियोजना – निम्न आय वाले राज्यो अर्थात चार राज्यों असम, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में	• JJM के माध्यम से 50 प्रतिशत बाहय सहायता • JJM के तहत जारी किए गए कवरेज घटक में से 33 प्रतिशत • 16 प्रतिशत राज्य का येगदान • 1 प्रतिशत सामुदायिक योगदान	
4	JE&AEs प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले (60 जिले)	असम के लिए	90 : 10
		अन्य राज्यों के लिए	50 : 50
5	आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन	प्रर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए	90 : 10
		अन्य राज्यों के लिए	50 : 50

राष्ट्रीय जल जीवन कोष

पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता के भारतीय लोकाचार के रूप में विभिन्न व्यक्ति, कारपोरेट/ औद्योगिक घराने, धर्मार्थ संस्थान आदि से योगदान करते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारित उपरी आय से अधिक आय वाले कम्पनी को अपने औसत उपरी आय का 02 प्रतिशत राशि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों में खर्च करना होता है। एसे सभी योगदान या दान को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत **''राष्ट्रीय जल जीवन कोष''** की स्थापना की गई है। यह कोष जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्रप्ति हेतु धर्माथ योगदान/दान और CSR फंड के लिए एक पात्र के रूप में होगा।

इस कोष से निम्नलिखित गतिविधियों को वित्तपोषित किया जाएगाः–

1. जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने लिए स्रोतों एवं अवसंरचना का निर्माण।
2. विशेष रूप से जल गुणवत्ता प्रभावित क्षत्रों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ती प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास औश्र अभिनव परियोजनाएँ।
3. गाँव में गन्दे जल प्रबंधन पर कार्य
4. प्रदर्षन करने हेतु अभिनव प्रस्ताव
5. समुदाय का क्षता वर्धन
6. विभिन्न स्तरों पर जल जीवन मिशन में शामिल कर्मिषें का कौसल विकास
7. जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की आवष्यकता हेतु राज्य या जिला स्तर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराना
8. दानकर्ता द्वारा अनुरोध पर जल जीवन मिशन के लक्ष्य अनुरूप अन्य विषिष्ट गतिविधि।

सत्र–5: जल गुणवत्ता निगरानी और रखवाली (17.00 से 18.00)

जल गुणवत्ता (बीआईएस 10500) मानकों का महत्व – मुद्दे और उपाय

- स्वच्छता निगरानी – उद्देश्य और कार्यप्रणालीय
- एफटीके परीक्षण – प्रावधान और अवधारणाय
- महत्व और जागरूकता
- जल गुणवत्ता निगरानी और पारदर्शिता – WQMIS प्रणाली
- विभाग द्वारा रासायनिक और जैविक परीक्षण – जागरूकता निर्माण
- JJM के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए आस–पास की प्रयोगशालाओं में जनता को सुविधा

जल प्रदूषण के कारण

सतही जल प्रदूषण के कारण	• जल प्रदूषण • मानव मल का असुरक्षित निपटान • मिट्टी का कटाव • वातावरण प्रदूषण
भूगर्भ जल प्रदूषण के कारण	• जल जमाव • ठोस एवं तरल पदार्थ का अप्रबंधंन • रसायनिक पदार्थ का भूगर्भ जल या सतह पर निस्तारण • हानिकारक खाद का प्रयोग • घरेलू गंदगी

जल में निम्नलिखित पदार्थ हो सकते हैः

- अघुलनषील पदार्थ
- घुलनषील पदार्थ
- सुक्ष्म जीवाणु

जल गुणवत्ता के घटक

जल में निम्नलिखित विसंगति हो सकती है :

- भौतिक
- रसायनिक
- जीवाणु
- रेडियो एक्टी

जल गुणवत्ता का महत्व

- जल में बहुत से रासायनिक तत्व पाये जा सकते हैं
- परन्तु इनकी मात्रा यदि एक सीमा से ज्यादा होने पर मानव शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पेयजल का मानक निर्धारण किया गया है।
- अनुमान्य सीमा से ज्यादा रसायनिक प्रदूषण से फ्लोरिसिस, आर्सिनोकोसिस, ब्लू बेबी इत्यादि बीमारियाँ हो सकती है

- पेयजल में जीवाणु की उपस्थिति से डायरिया, दस्त, हैजा, टायफायड, पीलिया इत्यादि बीमारियाँ होती है।

पानी में घुले हुए रसायनिक पदार्थ

- पानी में लगभग 2000 रसायनिक तत्व घुले हो सकते है।
- पानी में प्राकृतिक रूप में 15–20 तत्व पाये जाते हैं।
- कुल घुलनशील ठोस (TDS) सभी घुलनशील रसायनों के योग के बराबर होता है।

कुल घुलनशील ठोस

- लगभग 97 से 99 प्रतिशत मात्रा कैलशियम, मैगनिशियम, सोडियम, बाय कार्बोनेट क्लोराइड एवं सल्फेट की होती है।
- शेष में लोहा, मैगनीज, पोटैशियम, अमोनिया, नाईट्राइट, नाईट्रेट, फ्लोराइड, फास्टफेट, ट्रेस मेटल एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ आते है।
- पानी में कुल घुलनशील ठोस की अधिकतम सीमा 500 मि.ग्रा./ली. तक अनुमान्य है।

रासायानिक तत्वों के अधिक उपयोग से मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव

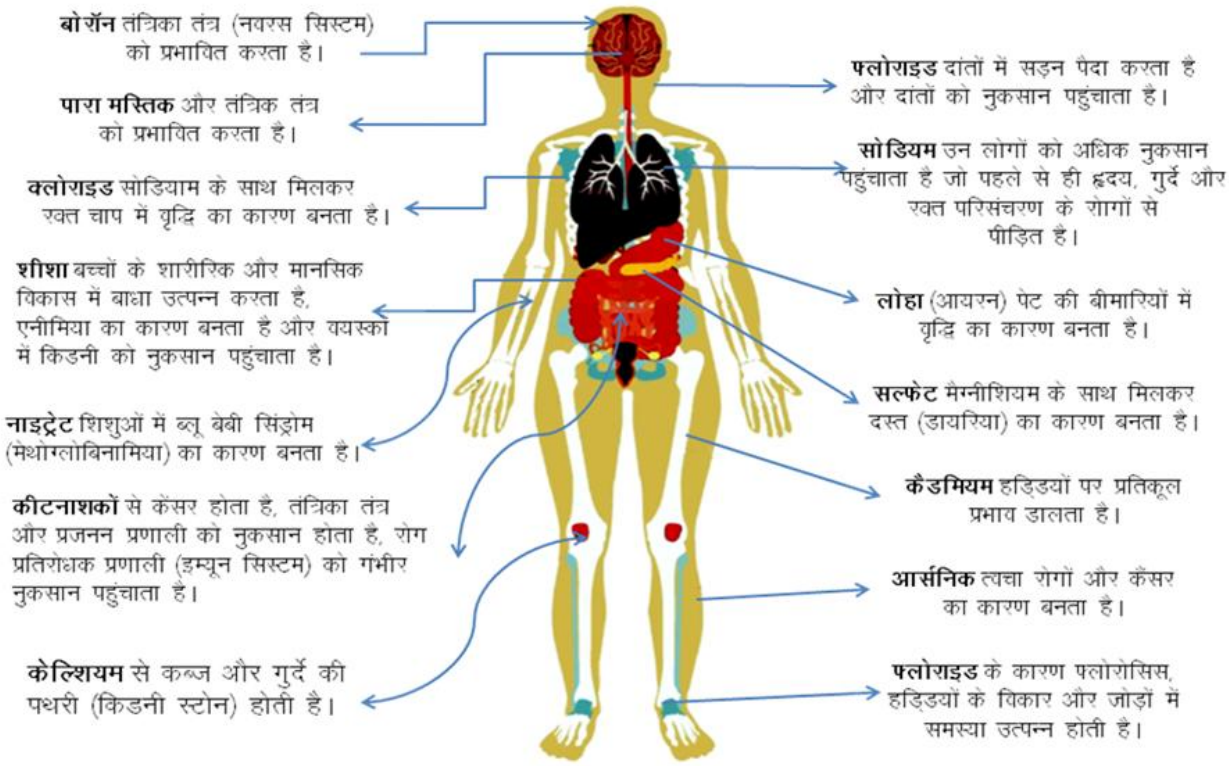

पानी पीने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए प्रयोगशाला में पानी की जांच करवाएं।

जल में फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले बीमारी

फ्लोरिसिस →

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्ड

विवरण	अनुमान्य अधिकतम	कुप्रभाव
रंग	25 हैजन	पीने की इच्छा में कमी
टर्बीडीटी (गंदलापन)	10 NTU	पीने की इच्छा में कमी
टी डी एस.	2000 मि.ग्रा./ली.	स्वाद में कमी, गैस्ट्रो समस्या, जंग लगने की प्रबलता
पी. एच.	6.5 – 8.5	स्वाद तीखा, म्यूकस मेम्बरेन पर कुप्रभाव
क्षारीय	600 मि.ग्रा./ली.	स्वाद में कमी
हार्डनेस	600 मि.ग्रा./ली	साबुन में झाग की कमी, स्केल फोर्मिंग पाइप में जमाव
कल्सियम	200 मि.ग्रा./ली.	साबुन में झाग की कमी, स्केल फोर्मिंग पाइप में जमाव
मैगनिशियम	100 मि.ग्रा./ली.	साबुन में झाग की कमी, स्केल फोर्मिंग पाइप में जमाव
आयरन	1.0 मि.ग्रा./ली.	स्वाद में कमी, कपड़े/बर्तन का पीला होना
नाइट्रेट	100 मि.ग्रा./ली.	ब्लू बेबी बीमारी
फ्लोराइड	1.5 मि.ग्रा./ली.	डेन्टल एवं कंकालीय फ्लोरिसिस
आर्सेनिक	0.01 मि.ग्रा./ली.	जहरीलापन, गैन्गरीन, लीवर चमड़ा पर घाव

सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (18.00 से 18.30)

संदर्भ व्यक्ति द्वारा दिन में चर्चा किए गए सत्रवार विषयों को संक्षेप में दोहराएं। संध्या/रात्रि में समूह चर्चा/समूह कार्य/ सांस्कृतिक आयोजन करें।

द्वितीय दिवसः योजना चरण

पुनरावलोकन (09.00 से 09.30)

प्रतिभागी पहले दिन के सत्रों का अपने साथियों को सारांष में बतायेगें।

सत्र–1: सामुदायिक सहभागिता (09.30 से 11.00)

सामुदायिक सहभागिता क्या है?

उद्देश्यः

- योजना बनाने के लिए सहभागी उपकरणों (PRA, PLA आदि) का उपयोग
- सामुदायिक मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, जल स्रोत मानचित्रण
- जल स्रोत का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा (कूड़ा–करकट और प्रदूषण की रोकथाम)
- सुरक्षित नल के पानी के उपयोगकर्ता शुल्क की आवश्यकता को समझना।

समदाय के विकास हेतु परियोजना के क्रियान्वयन व रख–रखाव में समुदाय का भाग लेना ही सामुदायिक सहभागिता है । इसके अतिरिक्त समुदाय द्वारा योजना बनाना, इसके लिये धन एकत्रित करना तथा सेवाएं प्रदान करना भी सामुदायिक सहभागिता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अथवा समुदाय समस्या को पहचानते है, उसका विश्लेषण करते है व उसके समाधान हेतु प्रयत्नशील रहते हैं ।

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन प्रक्रिया एक ऐसा पद्दति है जिसके टूल के माध्यम से समुदाय को प्रेरित कर मांग आधारित विकास की प्रक्रिया करना है एवं समुदाय की पुरी भगीदारी हो। इस माध्यम से ग्रामीण जनजीवन के साथ ग्रामीण लोगों द्वारा ही काम किया जाता है। इसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप सिर्फ सहजकर्ता के रूप में ग्रामीणों के विकास को गति देने में ही काम आता है।

आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों को उस क्षेत्र के साधनो और प्राकृतिक संपदाओं की विषेष जानकारी होती है। जिससे जल स्रोतों के योजना तैयार करने में काफी मदद मिलती है।

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA)

- समुदाय से और समुदाय के साथ सीखने का तरीका।
- यह एक गहन, व्यवस्थित लेकिन अर्ध–संरचित सीखने का अनुभव है।
- इसका उपयोग बाधाओं, अवसरों की जांच, विश्लेषण और मूल्यांकन करने और उपयुक्त समय पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है।
- यह योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में वंचित समूहों को शामिल करने में मदद करता है।
- यह बहुआयामी टीम और समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- यह दृष्टिकोण, व्यवहार और संचार के बारे में है।

अतः PRA एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी से जलापूर्ति योजना को आसान तकनीक की मदद से लागू किया जा सकता है।

PRA कब–कब करना है?

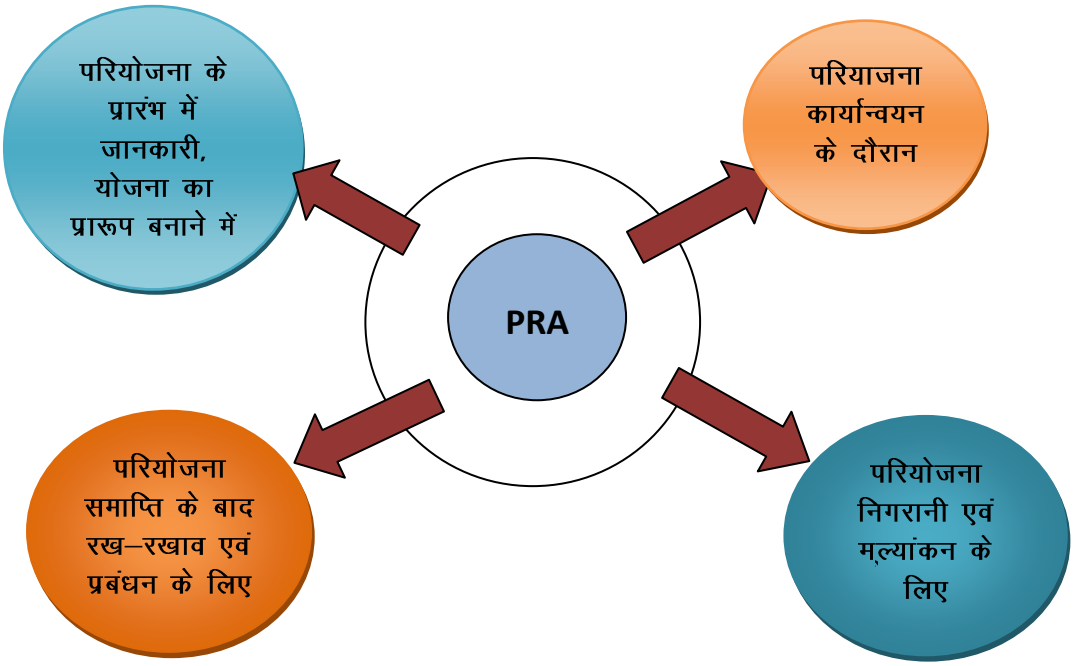

PRA के सिद्दांत

PRA की योजनाओं के क्रियान्वयन में कई सिद्दांतो का पालन करना चाहिए जो कि निम्न हैं–

ग्रामीणों से सीखनाः आसपास के क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है। अतः योजनाओं के क्रियान्वयन में उनसे क्षेत्र की संपदाओं और आपदाओं के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। PRA का सबसे पहला सिद्धांत है कि समुदाय से सीखें।

संचार के सुचारू माध्यम का प्रयोगः स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार ही संचार माध्यम का भी चुनाव होना चाहिए। किसी भी योजना को लोगों तक पहुँचाने के लिए पोस्टर, पेंसिल, फूल, पते, ग्राफ, फोटो का भी इस्तेमाल होना चाहिए। उस क्षेत्र का स्थानीय भाषा भी संचार के माध्यमों में शामिल है।

अपने अनुभव से परे सोचनाः आमतौर पर अपने काम में कुशल लोग किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की जानकारियों और सूचनाओं को नजर अंदाज कर देते हैं। मगर कई बार उनका ये अनुभव गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी योजना को लागू करने में अपने अनुभव से परे सोचना चाहिए। जिसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी शामिल है।

सभी समुदायों को प्रोत्साहित करना और उनका अनुभव बांटनाः PRA के तहत गाँव की परिस्थितियों को समझा जाता है इसके तहत सभी समुदायों का प्रोत्साहन और उनका अनुभव जानना जरूरी है। अपने संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे अधिकारियों को उस क्षेत्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को जानना जरूरी है। खासतौर पर महिलाएँ किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जल की समस्याओं पर अधिक जानकारी रखती हैं, उनकी राय लेना भी जरूरी है।

सूचनाओं का आदान–प्रदानः ज्यादातर किसी भी प्राप्त जानकारी को रजिस्टर में लिखा जाता है। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछेक पढ़े–लिखे लोग ही इसे पढ़ सकते है। अतः किसी भी जानकारी को पोस्टर, चित्रों, ग्राफ तथा मैप के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए। जिससे कोई भी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इससे ग्रामीणों की भागीदारी को भी समझा जा सकता है तथा उस क्षेत्र के विकास की गति को भी बल मिलता है।

जानकारी की पुष्टिः खुले मंच पर चर्चा करने से प्राप्त समस्याओं की पुष्टि की जा सकती है। सभी वर्ग तथा उम्र के लोगों से मिली सूचना के आधार पर ही सही डाटा निकाला जा सकता है। इन क्षेत्रों में योजनाएँ और उसके क्रियान्वयन पर विचार किया जाता है।

PRA में क्या करें, क्या न करें

क्या करें	क्या न करें
• स्वयं से बेहतर निर्णय लें। • सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें • खुद का परिचय दें • अपना संबंध बनाएँ • समुदाय का आदर करें • ईमानदार और विश्वसनीय बनें • लोगों की भावनाओं को समझें • नवाचार प्रयोग करें • देखे, सुने और समझे • जोखिम लें • प्रोत्साहित करें	• जल्दबाजी न करें। • शिकायत न करें। • हावी न होना • बेकार के डाटा न लिखें • बीच में न बोलें

PRA के विभिन्न टूल

क.	टूल	विवरण
1.	प्राथमिक बैठक	समुदाय एवं पंचायत के साथ सबंध स्थापित करना
2.	सामाजिक मानचित्र	समाजिक मानचित्रन टूल के माध्यम से गाँव में उपलब्ध संसाधन एवं सुचिनाएँ का आंकलन कर सकते हैं। समुदाय का ढाँचा एवं ग्राम स्तारीय संस्थान के बारे में जान पाते हैं। यह एक बेस लाईन के रूप में काम करता है।
3.	संसाधन मानचित्र	इसमें गॉव में उपलब्ध संसाधन के बारें में ग्रामीणों का सोंच क्या है एवं इसका उपयोग कैसे कर रहें हैं जान पातें हैं।
4.	मौसमी	मौसमी मानचित्र में मौसम या महीने के हिसाब से ग्रामीणों के कार्य एवं अन्य विश्लेषन कर पाते हैं।
5.	योजना ट्रांजेक्ट	इसमें क्षेत्र में हो रहे समस्या एवं सही जानकारी प्राप्त पाते हैं, इस दौरान ग्रामीणों के सहयोग से अच्छा विकल्प एवं स्थान का भी चयन हो जाता है
6.	रिर्पोट बनाना	सभी प्रक्रिया का रिर्पोट बनाना, ताकि कार्य योजना बनाया जा सके।
7.	विकल्प चयन बैठक (FGD)	विकल्प चयन बैठक म सभी समुदाय के लोग भाग लेकर जरूरत एवं उपयोगी के हिसाब से विकल्प का चयन करते हैं
8.	ग्राम सभा का अनुमोदन	बैठक में विकल्प चयन एवं समुदाय का सहमति पर निर्णय लिया जाता है।

सामुदायिक मानचित्रणः सामुदायिक मानचित्रण (PRA) पी.आर.ए. का तरीका है जिसमें सामाजिक और भौतिक संरचना के बारे में जानते है। यह बुनियादी गाँव की जानकारी का आंकलन करने, मुद्दो की पहचान करने और समस्या समाधान पर चर्चा करने के लिए गुणात्मक विधि है। यह समुदाय भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रभावी ट्रीगरींग का तरीका है।

उद्देश्यः

- ग्रामीण संरचना तथा ग्रामीण स्तर पर जल आपूर्ति की समझ स्थापित करना।
- विभिन्न स्त्रोंतों, उनके स्थान और विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करने के लिए।
- भंडारण टैंक और टेप स्टैंड, संभावित स्त्रोत, स्थान के लिए भूमि की पहचान करना।
- ग्रामीणों को ट्रींगर करने आर कार्रवाई शुरू करने के लिए।

प्रक्रियाः

पूर्व	दौरान	पश्चात
• सामुदायिक मानचित्रण के स्थान के लिए ग्रामीणों से चर्चा। • सामुदायिक मानचित्रण के लिए सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • ग्रामीणों से सामुदायिक मानचित्र बनाने के लिए निवेदन करें। • सामुदायिक मानचित्रण बनाने से पहले ग्रामीण नक्सा तथा इसके उपकरण के बारे में चर्चा करे।	• पहले गाँव में समुदाय के साथ गोला बनाते है। • फिर लकड़ी के छड़ी के सहायता से गाँव की बाहरी सीमा बनाते है तथा दिशा सूचक निश्चित करते है। (उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम) • सुविधा के लिए कार्यपुस्तिका में जाँच सूची का उपयोग करें। • अलग–अलग संसाधन के लिए अलग–अलग रंग का उपयोग करें। • सभी समूह को शामिल करने के लिए समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करे। • सहजकर्त्ता टीम के सदस्य द्वारा पेपर पर समुदायिक मानचित्रण का दास्तावेजीकरण को सुनिश्चित करेंगें।	• नक्सा के बाद जल की स्थिति और स्वच्छता की सुविधा के लिए समुदाय को ट्रिगर करके कार्रवाई शुरू करें। • सामुदायिक मानचित्र का सभी पहलू को पेपर में लिखकर इसका दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करें। • जानकारी को अंतिम रूप देने के लिए ग्रामीणों के साथ इसे पढ़ें और चर्चा करें। • धन्यवाद के साथ इस प्रक्रिया को समाप्त करें।

सहायक सामग्रीः रंगोली (अलग–अलग रंग), लकडी की छड़ी (3–4फीट), कागज, कार्डशोट, मारकरपेन, केमरा आदि।

परिणामः ग्रामीण संरचना को समझना, योजना के विभिन्न उपकरणों के लिए स्थान का चयन करना और सामुदायिक कार्रवाई शुरू करना।

जल सोत का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा

गाँव में जो भी जल स्रोत का पाईप जल आपूर्ति के लिए लिया गया है, उसका सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा पूर्णतः जिम्मेदारी समुदाय की होगी।

इस पर प्रतिभागियों से चर्चा कर जल स्रोत का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा कैसे करेंगें पर बिचार करें। जल स्रोत सतही या भुजल हो सकता जिसका सुदृढ़ीकरण जल संरंक्षण कर किया जा सकता है।

जल स्रोत के आस–पास गंदगी न फैलायें और गंदा पानी का जमाव न होने दें। जल स्रोत के आस पास जानवर का मल मूत्र भी न होना चाहिए। समय–समय पर जल स्रोतों का 10 प्वाइंट स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाना है।

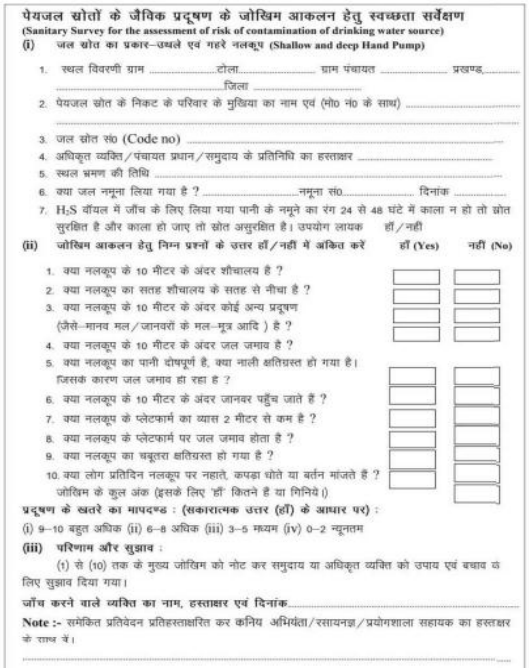

पेयजल स्रोतों के जैविक प्रदूषण के जोखिम आकलन हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण
(Sanitary Survey for the assessment of risk of contamination of drinking water source)

(i) जल स्रोत का प्रकार–उथले एवं गहरे नलकूप (Shallow and deep Hand Pump)

1. स्थल विवरणी ग्राम .....टोला..... ग्राम पंचायत ..... प्रखण्ड.....
   .....जिला .....
2. पेयजल स्रोत के निकट के परिवार के मुखिया का नाम एवं (मो० नं० के साथ) .....
3. जल स्रोत सं० (Code no) .....
4. अधिकृत व्यक्ति/पंचायत प्रधान/समुदाय के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर .....
5. स्थल भ्रमण की तिथि .....
6. क्या जल नमूना लिया गया है ? .....नमूना सं०..... दिनांक .....
7. H_2S वॉयल में जाँच के लिए लिया गया पानी के नमूने का रंग 24 से 48 घंटे में काला न हो तो स्रोत सुरक्षित है और काला हो जाए तो स्रोत असुरक्षित है। उपयोग लायक हाँ/नही

(ii) जोखिम आकलन हेतु निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ/नहीं में अंकित करें — हाँ (Yes) / नहीं (No)

1. क्या नलकूप के 10 मीटर के अंदर शौचालय है ?
2. क्या नलकूप का सतह शौचालय के सतह से नीचा है ?
3. क्या नलकूप के 10 मीटर के अंदर कोई अन्य प्रदूषण (जैसे–मानव मल/जानवरों के मल–मूत्र आदि) है ?
4. क्या नलकूप के 10 मीटर के अंदर जल जमाव है ?
5. क्या नलकूप का पानी दोषपूर्ण है, क्या नाली क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण जल जमाव हो रहा है ?
6. क्या नलकूप के 10 मीटर के अंदर जानवर पहुँच जाते हैं ?
7. क्या नलकूप के प्लेटफार्म का व्यास 2 मीटर से कम है ?
8. क्या नलकूप के प्लेटफार्म पर जल जमाव होता है ?
9. क्या नलकूप का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया है ?
10. क्या लोग प्रतिदिन नलकूप पर नहाते, कपड़ा धोते या बर्तन मांजते हैं ?

जोखिम के कुल अंक (इसके लिए 'हाँ' कितने है या गिनिये।)

प्रदूषण के खतरे का मापदण्ड : (सकारात्मक उत्तर (हाँ) के आधार पर) :
(i) 9–10 बहुत अधिक (ii) 6–8 अधिक (iii) 3–5 मध्यम (iv) 0–2 न्यूनतम

(iii) परिणाम और सुझाव :
(1) से (10) तक के मुख्य जोखिम को नोट कर समुदाय या अधिकृत व्यक्ति को उपाय एवं बचाव के लिए सुझाव दिया गया।

जाँच करने वाले व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर एवं दिनांक.....

Note :- समेकित प्रतिवेदन प्रतिहस्ताक्षरित कर कनिय अभियंता/रसायनज्ञ/प्रयोगशाला सहायक का हस्ताक्षर के साथ दें।

सुरक्षित नल के पानी के उपयोगकर्ता शुल्क की आवश्यकता

जल जोवन मिशन के तहत हर घर जल घरेलु कनेक्शन के माध्यम से पर्हुच जाएगा। नल जल योजना का संचालन एवं रख–रखाव की पर्ण जिम्मेदारी समुदाय एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति को होगी। सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुछ राशि की जरूरत भी पडतो है जिसका वहन समुदाय को ही करना है।

अतः समुदाय निर्णय लें और एक मासिक पेयजल शुल्क निर्धारित करें। यह शुल्क ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति में जमा किया जा सकता है। जिससे आने वाले समय में संचालन, रख–रखाव व मरममती कार्यों को सुचारू रूप से आसानी पूर्वक किया जा सकता है। समुदाय की भागीदारी से सही संचालन एवं रख–रखाव से पेयजल आपूर्ती योजना का स्थायित्व भी बना रहेगा।

चाय अवकाश (11.00 से 11.15)

15 मिनट का चाय अवकाश दें।

सत्र–2: ग्राम कार्ययोजना का निर्माण (11.15 से 13.15)

उद्देश्यः

- जल संसाधनों की सूची
- तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय कारकों के आधार पर योजना की व्यवहार्यता (रेट्रोफिटिंग, विस्तारी करण/SVS /MVS/सौर ऊर्जा से संचालित)
- मौजूदा कार्यात्मक स्टैंड पोस्ट को FHTC में परिवर्तित करना
- पानी का संयुक्त उपयोग
- स्थिरताः स्रोत, प्रणाली (संस्थागत – पंचायत, VWSC/पानी समिति, SHG, आदि तकनीकी क्षमता और वित्तीय – अभिसरण) और योजना
- ग्राम जल सुरक्षा योजना और बजट

- गांव में बुनियादी ढांचे के घटक – स्रोत, उपचार संयंत्र, विशेष उपचार, जलाशय, कीटाणुशोधन इकाइयां, वितरण नेटवर्क, नल कनेक्शन, ग्रेवाटर प्रबंधन योजना, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, धुलाई और स्नान चबुतरा, मवेशी कुंड, आदि
- साइनेज, बैनर, दीवार पेंटिंग, स्लोगन लेखन, आदि
- बैठक करने के लिए सहमती;
- GPDP (ग्राम पंचायत विकास योजना) में VAP (ग्राम कार्य योजना) को शामिल करना
- O&M (रख–रखाव) से संबंधित निधियों का बहीखाता रखना और लेखा करना।

ग्राम कार्य योजना (VAP)

आधारभूत सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्र और समुदाय द्वारा व्यक्त आवश्यकता के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कार्यान्वयन करने वाले विभाग एवं कार्यान्वयन सहयोगी संस्था की सहायता से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एक ग्राम कार्य योजना तैयार करना है। जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगें:

- गांव की जल आपूर्ती /जल उपलब्धता का वर्तमान विवरण
- सूखा/जल का आभाव/ चक्रवात/बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा पद्धति का विवरण
- टैंकरों आदि के माध्यम से जल आपूर्ति जैसी किसी आपात व्यवस्था का पूर्ववर्ती विवरण
- जल आपूर्ति
- स्रोत सुध्ढ़ीकरण से संबंधित आंशिक कार्यों
- जल की उपलब्धता के सामान्य स्वरूप
- प्रमुख जल जनित बीमारियों का इतिहास
- जल स्रोत
- जल की गुणवत्ता से जुड़े मुददे यदि काई हों
- संचालन तथा रख–रखाव की व्यवस्था सहित गाँव की जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिती
- जल स्रोत में जल की उपलब्धता एवं इसका दीर्घकालीन स्थायित्व
- गाँव में जल की आवश्यकता का आकलन और उपलब्ध संसाधन – इसके आधार पर एकल ग्राम योजना या बहुल ग्राम योजना का निर्णय लिया जा सकता है।
- सभी बस्तियों में मौजूदा घरेलु नल कनेक्शन की संख्या एवं शेष बचे हुए घरों की संख्या
- सचालन एवं रख–रखाव के लिए आंशिक पुंजीगत लागत और नियमित अंशदान संबंधी लोगों की क्षमता और तत्परता
- ग्राम पंचायत की उप समिति ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति
- तकनीशियनों का क्षमतासंवर्धन
- जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जीवन स्तर में बदलाव संबंधी जागरूकता
- प्रस्तावित जल स्रोत का स्थान, कपड धोने/ नहाने का स्थान, मवेशो हौद, प्रौद्योगिकी विकल्प का निर्धारण, कार्यान्वयन समय तालिका, दीर्घ–कालीन संचालन एवं रख–रखाव योजना आदि।
- जल आपूर्ति अवसंरचना के लिए भूमी की उपलब्धता
- ग्राम पंचायत और इसकी उप समिति ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति की भुमिकाएँ और जिम्मेदारियां तथा विभाग एवं सहयोगी संस्था से समन्वय।
- गांव के सार्वजनिक स्थलों अर्थात स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ केन्द्र, पंचायत भवन आदि में जल उपलब्ध कराने की योजना
- मामूली मरम्मती कार्यों, संचालन एवं रख–रखाव आदि के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध तकनीशियनों की पहचान करना

- फील्ड जांच कीट (FTK) के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच के लिए गांव में उपयुक्त व्यक्ति की पहचान करना एवं प्रशिक्षित करना
- गंदले जल के प्रबंधन के उपाय
- स्वच्छता जांच के लिए समय का निर्धारण
- जल सुरक्षा एवं संरक्षण योजना

ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम कार्य योजना निर्माण में गांव के सभी टोले/मोजों/फले/बसावटों को योजना में शामिल किया गया है व कोई भी दूसरा नहीं है जिला से विभाग के अभियंता व कार्यान्वयन सहयोगी संस्था के लोग ग्राम सभा में भागीदारी करें। ग्राम कार्य योजना का अनुमोदन बैठक में मौजूद 80 प्रतिशत समुदाय के सहमति से ही करना है। इसके बाद ग्राम कार्य योजना को जिला में प्रस्तुत किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इसका प्रशासनिक स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिया जाना है।

भोजनावकाश (13.15 से 14.00)

45 मिनट का भोजन के लिए अवकाश दें।

सत्र–3: योजना एवं डिजायन (14.00 से 16.00)

उद्देश्य

- गांव के लिए बुनियादी डिजाइन अवधारणाएं (सामान्य नियम)
- डीपीआर के घटक – गांव स्तर संरचना और बहुल ग्राम संरचना (SVS/MVS)
- जीवन चक्र लागत के आधार पर जलापूर्ति योजनाओं के लिए तकनीकी विकल्प का चयन – तोन विकल्पों की प्रस्तुतिकरण
- बेकार/गंदा पानी प्रबंधन की योजना
- स्रोत स्थिरता – वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण
- O&M व्यवस्था और प्रणाली स्थिरता
- अटल भजल योजना के तहत योजना प्रक्रिया– अभिसरण
- ग्राम पंचायत में डी पी आर की प्रस्ततीकरण एवं सहमति

गांव स्तर पर हर घर जल उपलब्ध कराने हेतु जल स्रोत का चयन करना, उसकी क्षमता का आकलन कर बुनियादी डिजाईन बनाया जा सकता है। जिससे कि एक या एक से अधिक पानी टंकी का निर्माण कर हर घर जल घरेलु कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना है।

जल स्रेत एवं जल उपलब्धता के अनुसार एकल ग्राम योजना या बहुल ग्राम योजना बानाया जाना है।

एकल ग्राम योजना - SVS: एकल ग्राम योजना ग्राम स्तर पर या टोला स्तर भूजल/सतही जल आधारित योजना है। इसका नियोजन एवं प्रबंधन ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को ही करना है।

बहुल ग्राम योजना - MVS: बहुल ग्राम योजना बड़े जल स्रोत के माध्यम से एक से अधिक ग्राम में भुजल/सतही जल आधारित पाईप जलापूर्ति योजना है। इसका संचालन एवं प्रबंधन ग्राम पंचायत या इसकी उप समिति करेगी।

बेकार/गन्दा जल का समुचित निपटान

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

उपयोग किये गये जल में बैक्टीरिया और रोगाणु रहते हैं। यदि यह गंदा पानी जल स्त्रोत के आस–पास इकट्ठा होने दिया जाये तो यह जमीन में रिसकर जमीन के पानी को प्रदूषित करता है, और जब इस प्रदूषित जल को पिया जाता है तो डायरिया आदि रोग होने का खतरा रहता है। उचित वयवस्था नहीं होने से बेकार एवं गंदे जल से जल जमाव होते हैं जिससे मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया या फाइलेरिया रोग फैलाते हैं। गंदा पानी कीचड़ पैदा करता है और घरों में जाते समय पांव द्वारा या जूतों से कीचड़ घर में जाकर मक्खी आदि को आकर्षित करता है। गंदा पानी बदबू फैलाता है, गंदा दिखता है और लोगों को जल स्त्रोत तक जाने में रूकावट पैदा करता है। दूषित एवं व्यर्थ गंदे पानी का किस प्रकार निस्तारण किया जा सकता है?

(चर्चा कर प्रतिभागियों को दूषित एवं गंदे पानी का निस्तारण के तरीके को बतायें)

जल स्त्रोत (नल, हैंडपंम्प या स्वास्थ्यकर कुँआ) के आसपास सीमेंट कंकरीट का चबूतरा होना चाहिये जिससे पानी रिसकर कुएँ या जमीनी जल स्त्रोत को प्रदूषित न कर सके। चबूतरे से पानी बहने के लिये नाली होना चाहिये जिससे पानी फलों के वृक्षों में बहे या किचन गार्डन में या नाली में बह सके। रसोई का पानी भी रसोई के पास घर में लगी सब्जी /भाजी की बाड़ी में बह सके या प्राकृतिक नाली में बह सके। रसोई, स्नानघर, कपड़े धोने का पानी, विशेषरूप से बनाए गए सोखता गड्ढे में ले जाया जा सकता है जहां वह जमीन में रिस जाए।

गन्दा जल कस सुरक्षित निपटान के कुछ विकल्पः

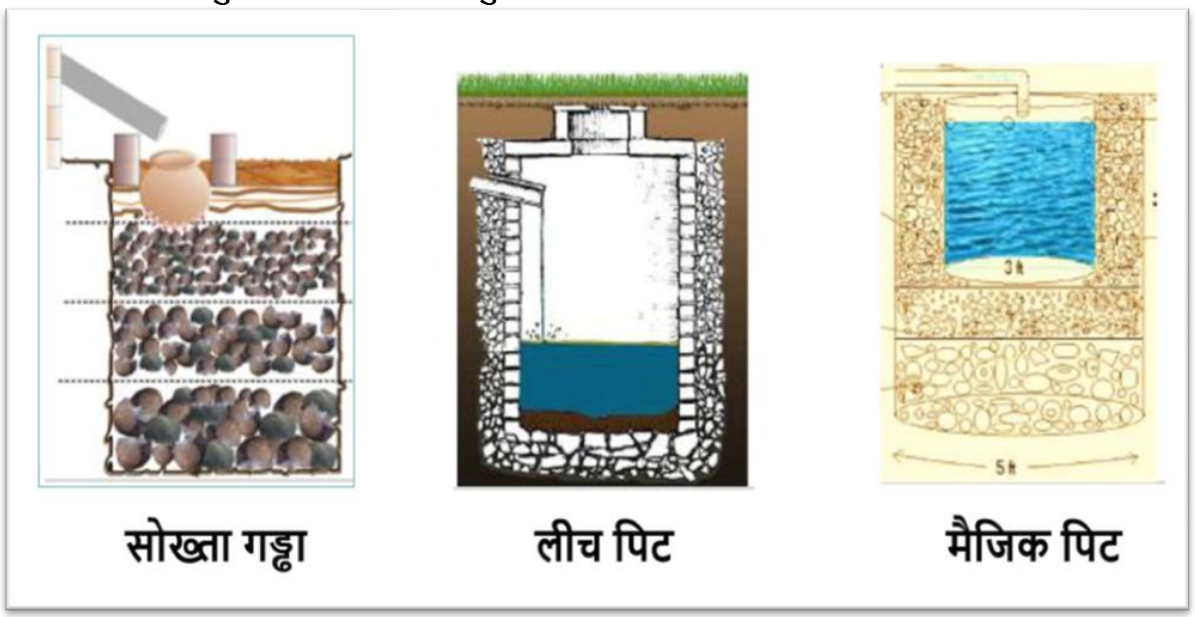

स्रोत स्थिरता – वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण

किसी भी पेयजल योजना के सफल कियान्वयन में एक विश्वसनीय जल स्रोत का होना आवश्यक है। पर्यावरण में लागातार परिवर्तन एवं जल का बहुत ही अधीक दोहन के कारण जल स्रातों में भूर्गभ में पानी की उपलब्धता कम हो गई है। अतः आवश्यक है कि योजना बनाते समय ही जल स्रोतों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्रोंतों के पुनःभरण, जल संचयन का भी योजना बनाकर उसका

कार्यान्वयन किया जाए। इस कार्य हेतु मनरेगा एवं 15वीं वित्त आयोग आदि का निधी का प्रयोग किया जा सकता है।

वर्षाजल संग्रहण क्या है?

वर्षा के बाद इस पानी को उत्पादक कार्यों के लिये उपयोग हेतु एकत्र करने की प्रक्रिया को वर्षाजल संग्रहण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आपकी छत पर गिर रहे वर्षाजल को सामान्य तरीके से एकत्र कर उसे पुर्नउपयोग करने को वर्षाजल संग्रहण कहते हैं।

वर्षाजल संग्रहण की आवश्यकता

आज उत्तम गुणवत्ता वाले पानी की कमी चिन्ता का कारण बन चुकी है। यद्यपि शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला वर्षाजल शीघ्र ही बह जाता है। परन्तु यदि इसे एकत्र किया जाये तो जलसंकट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वर्तमान जलसंकट को देखते हुए यही एक मात्र विकल्प बचा है जिसके द्वारा हम जल संकट का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

वर्षाजल संग्रहण के उपयुक्त स्थान

सामान्यतया वर्षाजल संग्रहण कहीं भी किया जा सकता है, परन्तु इसके लिये वे स्थल सर्वथा उपयुक्त होते हैं जहाँ पर जल का बहाव तेज होता है और वर्शाजल शीघ्रता से बह जाता है। इस प्रकार वर्षाजल संग्रहण निम्नलिखित स्थानों के लिये सर्वथा उपयुक्त होता है:

1. कम भूजल वाले स्थान,
2. दूषित भूजल वाले स्थान,
3. पर्वतीय/विषम जल वाले स्थान,
4. सूखा या बाढ़ प्रभावित स्थान,
5. प्रदूषित जल वाले स्थान,
6. कम जनसंख्या घनत्त्व वाले स्थान,
7. अधिक खनिज व खारा पानी वाले स्थान एवं
8. महंगे पानी व विद्युत वाले स्थान

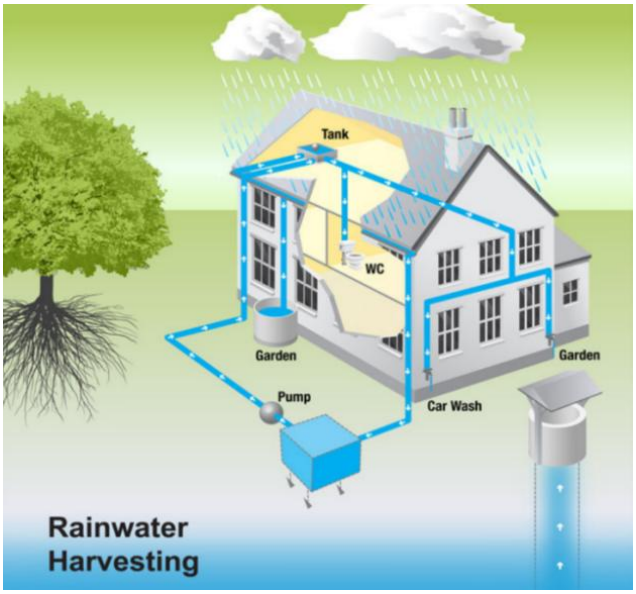

वर्षाजल संग्रहण का उपयोग

सामान्यतः वर्षाजल शुद्ध जल होता है तथा इसका उपयोग सभी कार्यों के लिये किया जा सकता है तथापि निम्नलिखित कार्यों के लिये इसका उपयोग सर्वथा उपयुक्त है:

1. बर्तनों की साफ–सफाई,
2. नहाना व कपड़ा धोना,
3. शौच आदि कार्य,
4. सिंचाई के लिये,
5. मवेशियों के पीने, नहाने आदि के लिये, एवं
6. औद्योगिक कार्य,
7. वर्षाजल की गुणवत्ता जाँचने के उपरान्त यदि वह उपयुक्त पाई जाती है तो इसका उपयोग पेयजल एवं खाना बनाने के लिये भी किया जा सकता है।

वर्षाजल संग्रहण के लाभ

विश्वव्यापी जलसंकट की समस्या का समाधान इसी विधि से सम्भव है। तभी हमारा वर्तमान व भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस विधि का एक फायदा है कि जो पानी ज़मीन के अन्दर जाएगा उसका उपयोग हमारा परिवार/समाज ही तो करेगा। रेनवाटर हार्वेस्टिंग म वर्षाजल को ही संचित किया जाता है तथा बाद में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तकनीक के कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ हैं जिनका विवरण निम्नवत है:

- भूजल/सरकारी जलापूर्ति पर निर्भरता कम
- जहाँ जलस्रोत नहीं हैं वहाँ पर कृषि कार्य भी सम्भव
- जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
- उच्च गुणवत्ता एवं रसायनमुक्त शुद्ध जल की प्राप्ति
- जलापूर्ति की न्यूनतम लागत
- बाढ़ के वेग पर नियंत्रण से मृदा अपरदन कम से कम
- सभी को समुचित मात्रा में जल उपलब्धता
- गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है
- यह पानी के मुख्य स्रोत का काम करता है
- यह जल हर प्रकार के घातक लवणां आदि से मुक्त होता है
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वर्षा का जल छतों से बहकर नालों में जाकर गन्दगी पैदा करता है जबकि इसको संग्रहीत करके इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है
- ज़मीन के अन्दर संग्रहित जल का वाष्पीकरण नहीं होता है अतः पानी के समाप्त होने की सम्भावना कम ही रहती है
- ज़मीन के अन्दर संचित पानी में लवणों की तीव्रता कम रहती है
- अन्य स्रोतों पर निर्भरता नहीं रहती है।

वर्षाजल संरक्षण के उपाय

वर्षाजल को संचित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं। इन उपायों के द्वारा ज़मीन के अन्दर गिरते जलस्तर को ऊपर उठाया जा सकता है।

1. सीधे ज़मीन के अन्दर : इस विधि के अन्तर्गत वर्षाजल को एक गड्ढे के माध्यम से सीधे भूजल भण्डार में उतार दिया जाता है।
2. खाई बनाकर रिचार्जिंग : इस विधि से बड़े संस्थान के परिसरों में बाउन्ड्री वाल के साथ–साथ बड़ी–बड़ी नालियाँ (रिचार्ज ट्रेंच) बनाकर पानी को ज़मीन के भीतर उतारा जाता है। यह पानी ज़मीन में नीचे चला जाता है और भूजल स्तर में सन्तुलन बनाए रखने में मदद करता है।
3. कुओं में पानी उतारना : वर्षाजल को मकानों के ऊपर की छतों से पाइप के द्वारा घर के या पास के किसी कुएँ में उतारा जाता है। इस ढंग से न केवल कुआँ रिचार्ज होता है, बल्कि कुएँ से पानी ज़मीन के भीतर भी चला जाता है। यह पानी ज़मीन के अन्दर के भूजल स्तर को ऊपर उठाता है।
4. ट्यूबवेल में पानी उतारना : भवनों की छत पर बरसाती पानी को संचित करके एक पाइप के माध्यम से सीधे ट्यूबवेल में उतारा जाता है। इसमें छत से ट्यूबवेल को जोड़ने वाले पाइप के बीच फिल्टर लगाना आवश्यक हो जाता है। इससे ट्यूबवेल का जल हमेशा एक समान बना रहता है।
5. टैंक में जमा करना : भूजल भण्डार को रिचार्ज करने के अलावा बरसाती पानी को टैंक में जमा करके अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस विधि से बरसाती पानी का लम्बे समय तक उपयोग किया जा सकता है।

वर्षाजल संग्रहण के अन्य आसान उपाय

वर्षा ऋतु में बरसाती पानी को हैण्डपम्प, बोरवेल या कुएँ के माध्यम से भूगर्भ में डाला जा सकता है। वर्षाजल संचित करने (वाटर हार्वेस्टिंग) के निम्नलिखित दो तरीके हैं:

1. छत के बरसाती पानी को गड्ढे या खाई के जरिए सीधे ज़मीन के भीतर उतारना,
2. छत के पानी को किसी टैंक में एकत्र करके सीधा उपयोग में लेना। एक हजार वर्ग फुट की छत वाले छोटे मकानों के लिये यह तरीका बहुत ही उपयुक्त है।

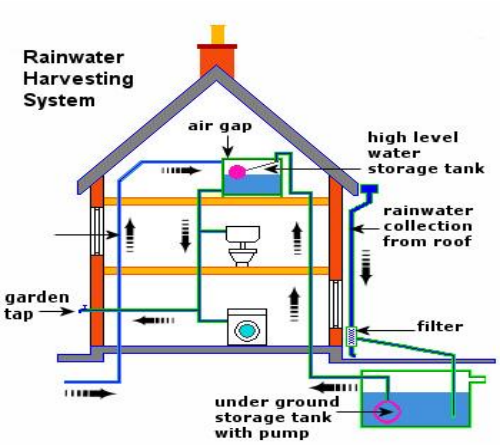

एक बरसाती मौसम म छोटी छत से लगभग एक लाख लीटर पानी ज़मीन के अन्दर उतारा जा सकता है। इसके लिये सबसे पहले ज़मीन में 3 से 5 फुट चौड़ा और 5 से 10 फुट गहरा गड्ढा बनाना होता है। छत से पानी एक पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतारा जाता है। खुदाई के बाद इस गड्ढे में सबसे नीचे मोटे पत्थर (कंकड़), बीच में मध्यम आकार के पत्थर (रोड़ी) और सबसे ऊपर बारीक़ रेत या गिट्टी डाल दी जाती है। यह विधि पानी को छानने (फिल्टर करने) की सबसे आसान विधि है। यह सिस्टम फिल्टर का काम करता है।

वर्षाजल संचय के मामले में भारत काफी पीछे है। आइए हम सब मिलकर जल संरक्षण पर कार्य करे एवं आने वाले पीढ़ी को जल संकट से बचाएँ।

O&M व्यवस्था और प्रणाली स्थिरता:

कोई भी पेयजल योजना पूर्ण होने के उपरांत, याजना का समुचित संचालन एवं रख–रखाव करने से ही पानी की आपूर्ती को जारी रखा जा सकता है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति को अपनी जाबाबदेही पूर्ण करने के लिए निधि की आवश्यकता होगी। जिसे घरेलु स्तर पर मासिक पेयजल शुल्क के रूप में जमा कर सकते हैं। समुदाय के लोग, पंचायत एवं पानी समिति मिलकर जरूरत के हिसाब से पेयजल शुल्क का निर्धारण कर सकते हैं।

अटल भ्जल योजना के तहत योजना प्रक्रिया– अभिसरण:

अटल भजल योजना मुख्य रूप से भुजल प्रबंधन का योजना है। इस योजना से यह अपेक्षा की गई है कि जल जीवन मिशन के लिए स्रोत की बेहतर स्थिरता और ठोक तरह से जल उपयोग के लिए समुदाय को जागरूक कर व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। यह योजना अभी देश के 07 राज्यों में चलायी जा रही है, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश।

ग्राम पंचायत में डी. पी. आर. की प्रस्तुतीकरण एवं सहमति

ग्राम कार्य योजना के अनुरूप गाँव का पेयजल आपूर्ती योजना का डी. पी. आर. विभाग द्वारा बनाया जाएगा। डी पी आर की प्रस्तुती ग्राम पंचायत एवं पानी समिति में किया जाएगा। जिसमें पंचायत व VWSC/ पानी समिति की सहमती होना अनिवार्य है।

चाय अवकाश (16.00 से 16.15)

15 मिनट का चाय अवकाश दें।

सत्र–4: कार्यान्वयन (16.15 से 17.00)

उद्देश्य

- विभाग द्वारा निविदा – अवलोकन
- कार्यान्वयन एजेंसी, ठेकेदार और ISA (कार्यकारी सहयोगी संस्था) के साथ कार्य योजना प्रबंधन
- कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी

किसी भी योजना का डी. पी. आर. स्वीकृत होने के उपरांत, विभाग द्वारा निविदा निकाला जाएगा, जिसके आधार पर कार्य करने हेतु कार्यान्वयन ऐजेंसी का चयन किया जाएगा।
कार्यान्वयन एजेंसी, ठेकेदार और ISA (कार्यकारी सहयोगी संस्था) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना अनुरूप कार्य संपादन करना है। कार्य प्रगति की निगराणी विभाग के साथ–साथ पंचायत को भी पूण रूप से करनो है।

सत्र–5: क्षेत्र भ्रमण की चर्चा एवं तैयारी (17.00 से 18.00)

उद्देश्य

- प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के आधार पर समूह निर्माण
- कार्यप्रणाली
- आने–जाने की व्यवस्था
- अपेक्षित परिणाम

क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए बताना है कि:

- गाँव में पेयजल व्यवस्था को समझना
- गाँव के लोग या ग्राम जल एंव स्वच्छता समिति की रूप रेखा जानना
- गाँव में बेहतर पेयजल व्यवस्था एवं घरेलु नल जल कनेक्शन की व्यवस्था कैसे बहाल किए हैं,
- पेयजल आपूर्ति योजना का संचालन एवं रख–रखाव किस प्रकार करते हैं
- गाँव का परिवेश किस प्रकार है, स्वच्छता के दष्टिकोण का आकलन करना
- PRA गतिविधी, सामुदायिक मानचित्रण एवं ग्राम कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझना
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति से चर्चा

क्षेत्र भ्रमण हेतु पुर्व में ही सभी प्रतिभागियों को 4 या 5 समूह में बांट दें, सभी समूह को एक–एक बिन्द पर चर्चा करने एवं जानकारी इकठा करने को कहें। इस प्रकार से समूह में कार्य कर अधीक जानकारी का आंकलन किया जा सकता है, जिसे वापस आकर समेकित कर सभी अपना अनुभव साझा करेंगें।

आने–जाने की व्यवस्था, समय एवं सम्पर्क व्यक्ति की सुचना सभी प्रतिभागी को पूर्व में ही दे दें।

क्षेत्र भ्रमण से निम्नलिखित जानकारी की समझ विकसित होना आपेक्षित है:

- गाँव का परिवेश किस प्रकार है

- पेयजल की व्यवस्था क्या है,
- घरेलु कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है।
- पेयजल आपूर्ति योजना का संचालन एवं रख–रखाव किस प्रकार करते हैं
- PRA गतिविधी एवं ग्राम कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझना
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति के कार्य दायित्व समझना

सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (18.00 से 18.30)

संदर्भ व्यक्ति द्वारा दिन में चर्चा किए गए सत्रवार विषयों को संक्षेप में दोहराना एवं प्रस्तुतीकरण। संध्या में 19.30 से 20.30 के बीच समूह चर्चा/समूह कार्य/सांस्कृतिक आयोजन होगे।

तृतीय दिवसः क्षेत्र भ्रमण

क्षेत्र भ्रमण (09.00 से 16.30)

विचारोत्तेजक विषयः

- सामुदायिक भागीदारी से प्रतिभागियों द्वारा VAP तैयार करना
- जल स्रोत व्यवहार्यता मूल्यांकन
- 5 सदस्य निगरानी समिति द्वारा पानी की गुणवत्ता और FTK से परीक्षण
- जल जनित रोग और शिशुओं, किशोरों एवं वयस्कों पर इसका प्रभाव
- स्वच्छता निगरानी और गंदला जल प्रबंधन योजना की तैयारी
- जल उपचार संयंत्रों का निरीक्षण
- सामुदायिक मानचित्रण
- (O&M) रख–रखाव के घटक
- जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन में पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति के कार्य मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करें
- वर्षा जल संचयन और जल स्रोत पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहारिकता एवं कार्यप्रणाली

सत्र–1: क्षेत्र भ्रमण का अनुभव साझा (16.30 से 18.00)

सभी प्रतिभागी अपने–अपने समूह में बैठेंगें एवं क्षेत्र भ्रमण का अनुभव को एक चार्ट पेपर में लिखेंगें। कुछ अच्छी या खराब चीज दिखा हो तो उसे चित्र के माध्यम से भी अंकित कर सकतें हैं।

अपना–अपना समूह में आकर प्रस्तुतीकरण कर सकते हैं। इससे सभी समूह की जानकारी एवं अनुभव सभी प्रतिभागिओं में साझा होगा।

सायंकाल को जल एवं स्वच्छता संबंधी फिल्म का प्रदर्शन करें।

प्रेरणायुक्त खेल/कहानी/फिल्म प्रदर्शन

कोई भी एक प्रेरणायुक्त खेल/कहानी/फिल्म प्रदर्शन करना है, ताकि लोग अच्छे से सहभागी रूप में चीजों को समझ सके।

कहानीः डाकू अंगुलीमाल और महात्माबुद्ध

बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का एक गाँव था। इस गाँव में लोग हमेशा शाम होते ही अपने–अपने घरों में आ जाते थे। सुबह तक कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। पूरे गाँव में डर था डाकू अंगूलीमाल का जो मगध के जंगल मे रहता था, लोंगो को लूटता था ओर जान से भी मार देता था। जिसे मारता था उसका एक उंगली काटकर माला बनाकर पहन भी लेता था।

इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल डाकू था। गाँव के लोग परेशान थे।

एक दिन गौतम बुद्ध उस गाँव में आए। गाँव के लोग उन्हें अपना समस्या बताया।

गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू से मिले और बोले कि तुम अपने आप को सबसे ताकतवर मानते हो तो एक पेड़ से 10 पत्ता तोड़के लाये और फिर से जोड़कर दिखाव।

अंगुलीमाल बोला यह मुझसे नहीं हो पाएगा। तो गौतम बुद्ध बाले कि यदि तुम कुछ भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा नहीं करो।

अंगुलीमाल को गलती का एहसास हुआ और गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया।

इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बरा हो वो बदल सकता है।

सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (18.00 से 18.30)

संदर्भ व्यक्ति द्वारा दिन में चर्चा किए गए सत्रवार विषयों को संक्षेप में दोहराना एवं प्रस्तुतीकरण। संध्या में 19.30 से 20.30 के बीच समूह चर्चा/समूह कार्य/सांस्कृतिक आयोजन होगें।

चतुर्थ दिवसः कार्यान्वयन चरण

पुनरावलोकन (09.00 से 09.30)

प्रतिभागी पहले दिन के सत्रों का अपने साथियों को सारांश में बतायेगें।

सत्र–1: समुदाय द्वारा पानी की आपूर्ति अवसंरचना निर्माण के दौरान निगरानी (09.30 से 10.30)

उद्देश्य

- निर्माण की निगरानीः कार्यान्वयन चरण के दौरान पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति द्वारा प्रगति और गुणवत्ता तथा तीसरे पक्ष के निरीक्षण को सहयोग, जैसेः
- डिजाइन के अनुसार पाइप बिछाने की पर्याप्त गहराई एवं पाइप के जोड़ों का निरीक्षण
- पाइप के जोड़, पानी की टंकी और घरेलू कनेक्शन के रिसाव का निरीक्षण
- सिविल कार्यों की गुणवत्ता जांच
- निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता
- परीक्षण प्रमाण पत्रों की जांच कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- कार्यादेश में कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति की समीक्षाघरेलू कनेक्शन के अंतीम छोर तक कार्यात्मकता मूल्यांकन (गुणवत्ता, मात्रा, नियमितता, दबाव)

कार्यान्वयन चरण के दौरान पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति द्वारा प्रगति और गुणवत्ता तथा तीसरे पक्ष के द्वारा समय–समय पर निगरानी एवं निरीक्षण किया जाना हैः

डिजाइन के अनुसार पाइप बिछाने की पर्याप्त गहराई एवं पाइप के जोड़ों का निरीक्षण

शुद्ध जल की हर घर मे आपूर्ती करने के लिए डीस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछायी जाती है। इसे जमीन के अंदर 3 फुट की गहरी नाली खोदकर बिछाया जाना है।

स्रोत निर्माण से लेकर पानी टंकी एवं पाईप लाईन का कार्य ठेकेदार को करना है। जिसकी निगरानी पंचायत या इसकी उप समिति करेगी।

कार्यादेश में कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति की समीक्षा एवं घरेलु कनेक्शन के अतिम छोर तक कार्यात्मकता मूल्यांकन ग्राम पंचायत या पंचायत की उप–समिति करेगी।

सिविल कार्यों की गुणवत्ता जांच

पंचायत /पानी समिति एवं विभाग के अभियंता संयुक्त रूप से योजना का सिविल एवं अन्य कार्यों की गुणवत्ता जांच समय–समय पर करते रहेंगें, ताकि गांव में गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता

पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण हेतु गांव में जमीन की उपलब्धता पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को ही करना है। गांव में कोई सरकारी भूमी उपलब्ध हो तो वो जमीन योजना निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।
यदि सरकारी भूमि उपलब्ध ना होने की स्थिती में कोई भी ग्रामीण का उपयुक्त भूमी को दान पत्र में योजना निर्माध हेतु दिाया जा सकता है।

परीक्षण प्रमाण पत्रों की जांच कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

परीक्षण प्रामण पत्रों की जांच करते हुए योजना में लगाई जा रही सामग्राी की गुणवत्ता समय–समय पर जांच करना पंचायत एवं पानी समिति की जिम्मेदारी होगी। परियोजना में उपयोग होने वाली सामग्री की क्वालिटी की जांच, संरचनाओं के ले आउट, डिजाइन का पुनः अवलोकन, संबंधित इजीनियर द्वारा किया जाना चाहिए। ध्यान रखना है कि निर्माण कार्य, तय की गई डिजाइन एवं गुणवत्ता के अनुरूप हो।
सिविल कार्य के लिए आवश्यक समुचित क्षेत्र की व्यवस्था हो। पाइप, सोकेट, युनियन, वाल्व आदि सभी ISI मार्क के होने चाहिए।
अच्छी गुण्वत्ता के पानी के पाइप में पत्येक मीटर पर ℙ मार्क होता है, जिसे पानी समिति/ग्रामीणों को सत्यापन कर लेना चाहिए।

कार्यादेश में कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति की समीक्षा

यह भी ध्यान रखा जाना चहिए कि निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी करना उचित नहीं होगा।

घरेलू कनेक्शन के अंतीम छोर तक कार्यात्मकता मूल्यांकन

कोई भी घर बिना कनेक्षन के न रहे, इसका खास ध्यान रखें। गांव में संस्थान, स्कूल, हेल्थ सेंटर, आंगनावाड़ी, पंचायत घर आदि सबको कनेक्षन दिया जाना है। सभी को कनेक्षन एक साईज का और सामान्य तौर पर 1/2 इंच (12.5mm) का दें। ध्यान रहे लोंगों के कहने पर भी अलग–अलब साईज का कनेक्षन ना दें। जिससे कि वितरण लाईन में जरूरत अनुसार पानी का प्रेशर बना रहे। पानी समिति की जिम्मेदारी होगी कि समय–समय पर अंतीम छोर तक कार्यात्मक मुल्यांकन करते रहें। समय–समय पर पैदल चलकर सभी पाईप लाईन एवं नल का निरक्षण करें ताकि कोई खराबी या लीकेज दिखाई देने पर ठीक किया जा सके।

सत्र–2: कार्यान्वयन के बाद का चरण (10.30 से 11.30)

उद्देश्य

- कमजोर अवधि के दौरान जल स्रोत की स्थिरता
- जल स्रोत संरक्षण (पर्यावरण सुरक्षा प्रोटोकॉल) और पुनर्भरण संरचनाएं
- विभाग की प्रयोगशाला और FTK परीक्षण द्वारा स्रोत का जल गुणवत्ता परीक्षण
- कार्यक्षमता के लिए उपचार संयंत्र का निरीक्षण
- पंप, बिजली के पैनल, ट्रांसफार्मर, बिजली की आपूर्ति, कीटाणुशोधन खुराक उपकरण की गुणवत्ता जांच
- अंतिम छोर के नल में अवशिष्ट क्लोरीन की जाँच करना
- स्वच्छता निगरानी

इस चरण में परियाजना का संचालन एवं रख–रखाव को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्राम पंचायत, विभाग के अभियंता एवं सहयोगी संस्था के साथ मिलकर ग्राम वासियों की एक बैठक बुलाकर योजना संचालन संबंधी विचार विमर्श किया जाना है। योजना संचालन एवं रख–रखाव के लिए एक या दो कार्यकर्ता की आवश्यकता होगी। यह कार्यकर्ता गाँव के ही स्वयं सेवक या मिस्त्री/पलम्बर भी हो सकता है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एवं विभाग के सहयोग से इसे आवयश्यक टूल किट भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस व्यक्ति की मुख्य रूप से जिम्मेदारी पुरी योजना को सुचारू रूप से संचालन करना एवं किसी भी कमी को तुरंत दूर करना होगा। सारी शिकायतें और उसको दूर किए जाने का ब्योरा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जिसे समय–समय पर बैठक में प्रस्तुत किया जाना है।

संचालन एवं रख–रखाव कार्यकर्ता की निम्नलिखित जिम्मेदारी होगीः–

- प्रतिदिन आने वालो शिकायतों को दूर करना
- समय–समय पर स्रोत, ट्रीटमेंट युनिट, पानी टंकी, डीस्ट्रब्यूषन नेटवर्क एवं घरेलु कनेक्शन का निरक्षण करना
- कोई बड़ी समस्या होने पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सुचित करना।
- यदि ट्रोटमेंट युनिट है तो निर्धारित समय पर सफाई करना
- जल स्रोत को प्रदूषित हाने से बचाना
- रोगाणुनाशक रसायन क्लारीन को निर्धारित अवधि में समुचीत मात्रा में डालना
- घरेलु कनेक्शन में कभी–कभी क्लोरीन की मात्र को चैक करना
- ग्राम वासियों से निर्धारित शुल्क प्रत्येक माह जमा कर संबंधित बैंक खाता में जमा करवाना
- बरसात के पुर्व रिचार्ज गडढों की सफाई करना ताकि अधीक से अधीक बरसात का पानी जमीन में रिसाव कर सके
- समय–समय पर ग्रामीणों के साथ विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता निरक्षण करना
- विभाग द्वारा दिए गए फील्ड टेस्ट कीट से जल गुणवत्ता जाँच करना, एवं जरूरत पड़ने पर जिला प्रयोगशाला में जल जाँच करवानी चाहिए एवं इसकी चर्चा ग्रामीणों से भी करें।

चाय अवकाश (11.30 से 11.45)

15 मिनट का चाय अवकाश दें।

सत्र–3: पंचायत पेयजल प्रणाली के लिए विकेन्द्रीकृत उपयोगकर्ता प्रबंधन (11.45 से 12.45)

उद्देश्य

- JJM के तहत सामुदायिक योगदान और स्वामित्व विकसित करना
- सामुदायिक योगदान और जबावदेही की भूमिकाएँ
- दैनिक और वार्षिक रख–रखाव कार्य
- जल उपयागिताओं के रूप में ग्राम पंचायत/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका
- रख–रखाव मद, खातों और रजिस्टरो को बनाए रखना
- कौशल विकास
- शिकायत निवारण और समय पर समाधान

पेयजल योजना पूर्ण होने के उपरांत, योजना का संचालन एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी पानी समिति/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की होगी। संचालन एवं रख–रखाव हेतु निधी की आवश्यकता होगी। जिसे पंचायत एवं ग्रामीण मिलकर जरूरत के हिसाब से मासिक पेयजल शुल्क निर्धारित कर सकती है।
पेयजल योजना के रख–रखाव से संबंधित निम्नलिखित तकनीकी मुददों पर ध्यान देना होगाः

- पानी के स्त्रोत की स्थिरता
- पंप की खराबी की जांच
- स्रोत को दुषित न होने दें।
- पानी टंकी में कोई लीकेज
- पाईप लाईन में लीकेज
- बिजली आपूर्ती/ वोल्टेज की समस्या

पेयजल योजना के संचालन व रख–रखाव के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी जैसे कि–

- टी
- एल्बो
- रिड्यूसर
- टेल पीस
- एंड केप
- आयल
- ग्रीस
- लुब्रीकेंट
- वाल्ब
- पैकिंग
- नट बोल्ट
- रसायन
- पानी के शौधन के लिए जरूरी क्लोरीन/ ब्लीचींग पाउडर आदि

गांव में बिछाई गई पाइप लाइन का नक्शा पंचायत एवं पानी समिति के पास अवश्य होना चाहिए।

जल उपयोगिताओं के रूप में ग्राम पंचायत/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

- ग्राम पंचायत के परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल का वितरण रिकार्ड दर्ज करना
- जल स्रोत की स्थिरता, पानी का पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपायों जैसे कामों की निगरानी करना।
- पेयजल कर की वसुली करना एवं हिसाब रखना
- नियमित जल सभी घरों तक मिले इसकी निगरानी करना
- पंप ऑपरेटर बहाल करना एवं उसका प्रशिक्षण दिलवाना
- पानी समिति की नियमित बैठक करना

रख–रखाव मद, खातों और रजिस्टरों को बनाए रखना

- योजना का रख–रखाव जल कर की राशि से किया जाना है।
- इसमें 15वीं वित्त आयेग की निधी का भी उपयोग किया जा सकता है।
- समिति एक बही खाता/रजिस्टर में आय एवं खर्च का ब्योरा लिखेंगें
- सभी जल कर की राशि बैंक खाते में जमा करना है, जिसे रजिस्टर में भी अंकित करना है
- रजिस्टर के हर पन्ने पर अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए

कौशल विकास

कार्यशील घरेलु नल कनेक्शन का लक्ष्य प्रप्ति एवं इसका संचालन व रख–रखाव के लिए कुशल कारीगरों एवं मजदूर की आवश्यकता होगी, जिसके लिए स्थानीय ग्रामीणों को प्रषिक्षण दिलाकर उसका कौशल विकास किया जा सकता है। इन प्रषिक्षित करीगरों को समिति के माध्यम से योजना का संचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्य दिया जा सकता है।

- पंचायत सभी गाव के लिए राज मिस्त्री, पंप ऑपरेटर, इलेट्रीषियन, प्लबर आदि का चयन करेगा
- इन सभी का काषल विकास हेतु जल जीवन के सहयोग से प्रषिक्षण करना सुनिष्चित करेंगें।
- जिससे कि परियोजना में कभी भी कोई खराबी आने पर तुरंत ठीक किया जा सके।

शिकायत निवारण और समय पर समाधान

गांव में कभी भी जलपूर्ती योजना में कोई शिकायत आने पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति की जिम्मेदारी होगी की तुरंत उसका निवारण किया जाय। सभी सिकायत एवं निवारण कार्य को समिति के रख–रखाव रजिस्टर में अवष्य दर्ज करें।

सत्र–4: हर घर जल गाँव घोषणा प्रोटोकॉल (12.45 से 13.00)

''हर घर जल'' गाँव घोषणा करने की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार गाँव मे FHTC काय पूर्ण होने के उपरांत एक उद्घाटन/ कार्यक्रम का आयेजन किया जाएगा, जिसमें दिए गए प्रपत्र के अनुसार संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ''हर घर जल'' गाँव को प्रमाणित करेंगें।

प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पंचायत को देंगें। इस प्रमाण पत्र के आधार पर

ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के माध्यम से ही गाँव को ''हर घर जल'' गाँव को घोषित किया जाएगा एवं प्रमाण पत्र जारी करेगी।

इसके उपरांत सत्यापन पत्र को JJM-IMIS पर अपलोड करना है।

''हर घर जल'' गाँव घोषणा प्रोटोकॉल के विभिन्न चरण

चरण 01 : सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ''हर घर जल'' गाँव को प्रमाणित करना।

चरण 02 : ग्राम सभा का आयेजन एवं ''हर घर जल'' गाँव को घोषणा

चरण 03 : ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ ग्राम पंचायत द्वारा घोषित ''हर घर जल'' गाँव का सत्यापन पत्र

चरण 04: सत्यापन पत्र को JJM-IMIS पर अपलोड करना

भोजनावकाश (13.00 से 14.00)

60 मिनट का भोजन के लिए अवकाश दें।

सत्र–5: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भाग ।।, ODF+, गंदा जल का प्रबंधन, ठोस तरल कचरा प्रबंधन, स्वच्छता व्यवहार (14.00 से 15.00)

उद्देश्य

- स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) भाग।। का संक्षिप्त परिचय समक्षना
- ODF+ के विभिन्न अवयव एवं कार्यों पर समझ विकसित करना
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के विभिन्न पहलु
- स्वच्छता व्यवहार आदि पर समझ विकसित करना

- SBM (G) चरण ।। को विशिष्ट रूप से ग्रामीण भारत में व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता का लाभ उठाते हुए जन अंदोलन का रूप देना है,
- यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में ODF की स्थिति कायम रहे,
- SBM (G) चरण ।। का क्रियान्वयन काल 2020–21 से 2024–25

SBM (G) चरण II का मुख्य उद्देश्य

- गांवों की ODF स्थिति बनाए रखना है और स्वच्छता के स्तर में सुधार करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियॉ
- गाँव को ODF Plus बनाना है।

ODF प्लस गांव को परिभाषित किया गया है:

- गाँव जो खूले में शौच मुक्त की स्थिती बनाए रखता है
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और
- पुरा गांव साफ दिखाई देता है।

SBM (G) चरण II के मुख्य घटकः

- व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण
- निर्मित शौचालय में रेट्रोफीटींग्स
- समुदायिक स्वच्छता केन्द्र–सामुदायिक शौचालय
- ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निर्माण कार्य
- तरल कचरा प्रबंधन के लिए निर्माण कार्य
- मल कीचड़ प्रबंधन (FSM)

समुदायिक स्वच्छता केन्द्र–प्रावधानः

SBM (G) Phase II अनुसार लागत 3.00 लाख रूपये है

- 70 प्रतिशत राशि SBM(G) से दिया जाना है – 2.10 लाख
- 30 प्रतिशत 15वें वित्त आयोग सें – 90 हजार

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत ठोस तथा तरल कचड़ा का प्रबंधन प्रावधान

- 5000 आबादी तक – ठोस कचरा हेतु– 60 रू प्रति व्यक्ति
  तरल कचरा हेतु– 280 रू प्रति व्यक्ति
- 5000 आबादी से अधीक – ठोस कचरा हेतु– 45 रू प्रति व्यक्ति
  तरल कचरा हेतु– 660 रू प्रति व्यक्ति

कूल लागत का 30 प्रतिषत राषि 15 वीं वीत्त आयोग से वहन करना है
प्रति गाँव कम से कम 1 लाख रूपये तक खर्च किया जा सकता है

- प्लास्टीक कचरा प्रबंधन इकाई – प्रखंड स्तर पर – 16 लाख
- मल कीचड़ प्रबंधन (FSM) – जिला स्तर पर – रू0 230/– प्रति व्यक्ति
- गोबरधन प्रोजेक्ट – रू0 50 लाख प्रति जिला

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत (*) स्टार रेटींग

स्टार रेटिंग

*एक स्टार	***तीन स्टार	*****पांच स्टार
1. सभी घरों में शौचालय की सुविधा हो	1. सभी घरों में शौचालय की सुविधा हो	1.सभी घरों में शौचालय की सुविधा हो
2. गाँव के सभी विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत भवनों में शौचालय की सुविधा हो	2. गाँव के सभी विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत भवनों में शौचालय की सुविधा हो	2.गाँव के सभी विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत भवनों में शौचालय की सुविधा हो
3. गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन या तरल कचरा प्रबंधन हो	3. गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन हो	3.गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन हो
	4. तरल कचरा प्रबंधन हो	4.तरल कचरा प्रबंधन हो
		5.गाँव के सार्वजनिक स्थानों में तरल कचरा, ठोस कचरा एवं प्लास्टिक कचरा फेका हुआ दिखाई न दे
		गाँव के सार्वजनिक स्थलों के दीवारों पर ODF Plus से संबंधित IEC संदेश लिखा हो

नोट :– गांव को ODF Plus घोषित करने हेतु उपरोक्त मानक को प्राप्त करना आवश्यक है।

सत्र–6: पुनरावृतिः चर्चा (16.30 से 17.15)

तीनो दिनों के सत्रो को पुनः संक्षेप में दोहरायें।

समापन सत्र (17.15 से 17.45)

इस सत्र में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया जान एवं प्रमाण–पत्र का वितरण करें।

धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन (17.45 से 18.00)

समापन समारोह में जिला व राज्य स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित हों। समापन एक कहानी बताकर किया जाए।

कहानी

बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक घर था, घर रोशनी से चकाचौंध था। अनेक ट्यूब लाईट तथा बल्ब जल रहे थे। सारे लोग अपने – अपने काम में व्यस्त थे कि तभी अचानक बिजली चली गई। सारा घर जो अभी–अभी रोशनी से भरा था, अंधकार में डूब गया। सारे लोग जो काम कर रहे थे, रूक गए। तभी अचानक घर की मालकिन को याद आया कि बहुत पहले उसने एक दीया कहीं रखा था। उसने अंधेरे में टटोलते हुए किसी तरह दीये को ढूंढ़ लिया, उसे धोया तथा जलाया।

घर में मद्धिम रोशनी फैल गई। दीया को अपने आप में बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि चलों आज इतने दिन बाद ही सही मैं तो किसी काम आ रहा हुँ। दीया यह सब सोच कर खुश हो रहा था कि अचानक लाईट आ गई। सारा घर रोशनी से पुनः चकाचौंध हो गया। दीया की रोशनी उसमें खो गयी। तभी ट्यूबलाईट ने व्यग्ंय किया और दिया से पूछा कि क्या दीया भाई अब तुम्हारी क्या जरूरत?

मेरे सामने तुम्हारी क्या आवश्यकता? दीया को इस बात से काफी दुख पहुंचा उसने भी सोचा कि इतनी रोशनी के आगे मेरी क्या जरूरत। दीया यह सब सोचकर काफी दुखी हुआ कि तभी उसे एक बात सूझी। वह ट्यूबलाईट से विश्वास भरे शब्दों में बोला कि हे ट्यूबलाईट भाई! अभी यह सच है कि आपके सामने मेरी कोई जरूरत नहीं है लेकिन में एक काम कर सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। इस पर ट्यूब लाईट ने अचरज भरे स्वर में पूछा कि बताओं क्या काम है जो हम नहीं कर सकते।

दीपक ने कहा – मैं एक दिये से दूसरे दीये को जला सकता हूँ ..... तो क्या हम वो दीपक बन सकते है।

अन्त में सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर प्रशिक्षण का प्रेरणात्मक समापन करें।

अनुलग्नक–1: "हर घर जल" घोषणा प्रमाण पत्र

जल जीवन मिशन

हर घर जल – प्रमाण पत्र

मैं .....सरपंच/ अध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति, ...ग्राम पंचायत..... जिला....., राज्य .... का और मैं....., पंचायत सचिव, प्रमाणित करता हूँ कि गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। हर नल से प्रर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रामाण पत्र ग्राम सभा के संकल्प/ प्रस्ताव संख्या..... ....., दिनांक ..... के आधार पर आज दिनांक..... को जारी किया गया है।

हस्ताक्षर
सरपंच/वी.डब्ल्यू. एस. सी./पानी समिति के अध्यक्ष
अध्यक्ष का नाम.....
अधिकारिक मुहर

हस्ताक्षर
पंचायत सचिव का नाम
अधिकारिक मुहर

अनुलग्नक–2: प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली सामग्री

निम्न साम्रगी (आवश्यकतानुसार) की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए

SN	Items	Quantity	Remarks
1.	Banner	2	
2.	Sound System	(1 coller mike, 2 cordless and 1 standing mike)	For class room
3.	Podium	1	For class room
4.	LCD projector with screen, laptop and 2 speakers	1	For class room
5.	White Board with stand	1	For class room
6.	Colored chart paper (White, Yellow and Sky Blew)	200	
7.	Rim of A-4 size white papers	1	
8.	White board Markers-Black and Green	6 Packets	3 packets of each color
9.	Sketch Pen	10 Packets	
10.	Writing Pad	Depending on the number of participants	
11.	Pen		
12.	Folders		
13.	Camera (Digital)	1	For 4 days
14.	Camera (Video) for Inaugural and field study	2	For 2 days
15.	Masking Tape	4	Big Size
16.	Cello Tape	8	(2 big size and 6 small size)
17.	Stapler	2	
18.	White Board Clips	4	
19.	Scissors	6	
20.	Stapler pins	2 packets	
21.	Extension Chord	2	
22.	Gum Stick	10	
23.	Certificate to be distributed to the participants	As per number of the participants	
24.	Table Name Plate	6	
25.	Wall Clock	1	
26.	Color Power (Yellow, White, Green, Red)	5 Kg of each color	
27.	Carry bag for carrying colors	30	
28.	H2S Strips	30	
29.	Chalk (Yellow, White, Blue and Red)	4 Boxes	
30.	Plain visiting card	150 Nos	Sample copy is attached
31.	Safety Pin	100 Nos	
32.	Vehicle (8-10 seater)	As per requirement	Required for field visit

Action for Community Empowerment (ACE)

Email: aceindia.org@gmail.com
Web: www.acengo.org